

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011—आषाढ़ 10, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. ई-1-180-2011-5-एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक-ई-1-193-2011-5-एक, दिनांक 13 जून 2011 की तालिका के अनुक्रमांक-10, जिसके द्वारा श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000) कलेक्टर, दतिया को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया गया है, में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर नियुक्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन,

भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संचालक, ग्रामीण रोजगार के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 की अनुसूची-II-बी में सम्मिलित उप सचिव मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एल. एम. बेलवाल, भावसे (1983), परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा आयुक्त-सह-संचालक, ग्रामीण रोजगार केवल आयुक्त-सह-संचालक, ग्रामीण रोजगार के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे. साथ ही श्री बेलवाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, परियोजना समन्वयक, डी. पी. आई. पी. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 1256-58-10-अड़तीस-3.—यतः, महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में, राज्य सरकार ने, महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 44-क की उपधारा (1) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून 2010 जारी की थी, जिसमें यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून 2010 से लागू होंगे;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 44-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को नियत तारीख से और एक वर्ष की कालावधि तक के लिए बढ़ाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-16-08-2011-सात-2ए.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री जे. समीर लकरा, संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है। श्री लकरा, संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट को उनकी बालाघाट जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-1(ए) 212-1996-ब-2-दो.—श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर को

The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी।

(2) अवकाश से लौटने पर, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. एफ-1(ए) 92-99-ब-2-दो.— पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 43-11, दिनांक 7 जून 2011 द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 से 25 जून 2011 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 18 एवं 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “त्रिवेन्द्रम” (केरल) जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|----------------------|----|--------|
| 1. | श्री मकरन्द देऊस्कर | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती निधि देऊस्कर | -- | पत्नी |
| 3. | कु. सौम्या | -- | पुत्री |
| 4. | कु. सानिका | -- | पुत्री |

भोपाल, दिनांक 17 जून 2011

क्र. एफ-1(ए) 77-2003-ब-2-दो.—डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी.

(2) अवकाश से लौटने पर, डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. एफ-1(ए) 217-91-ब-2-दो.—श्री डी. एस. सेंगर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर को दिनांक 25 एवं 27 जून 2011 से 1 जुलाई 2011 तक, कुल सात दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 26 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार "नुब्रा वेली, लेह (जम्मू कश्मीर)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| 1. श्री डी. एस. सेंगर | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती रीता सेंगर | - | पत्नी |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. एस. सेंगर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी-15-05-2011-चौदह-3.—चूँकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5190-5347-चौदह-1, दिनांक 27 जुलाई 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और 'चूँकि' "उक्त मण्डी क्षेत्र" में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मण्डी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को अपवर्जित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

1. अमरपुर (देवरा), 2. बघरवारा, 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर,
5. रही, 6. बनोटा, 7. सलोरा (असली), 8. रूपनबारा,
9. प्राणपुरा, 10. दविया जगन, 11. नगरैला,
12. कुटावली, 13. बीरपुर, 14. चिरौना, 15. किशनपुरा,
16. दबियाकला, 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा,
20. नयागांव (गजोरा), 21. मानपुर, 22. राजपुर,
23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा, 25. गुगरी, 26. कुंदनपुर (गुगर), 27. लहरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी-15-05-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

Bhopal, the 15th June 2011

No. D-15-05-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 5190-5347-14-1, dated 27th July 1964 issued under the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District, (here in after referred to as the "said market area.")

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by excluding therefrom the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the "said area" From the "said market area". (here in after referred to as the "said area").

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

LIST

1. Amarpur (Devra), 2. Bagharwara, 3. Peepalkheda, 4. Ramnagar, 5. Rhi, 6. Banota, 7. Salora (Asli), 8. Rupanwara, 9. Pranpura, 10. Daviyal Jagan, 11. Nagrela, 12. Kutawali, 13. Birpur, 14. Chirouna, 15. Kishanpura, 16. Dabiyakala,

17. Badanpur, 18. Sujwaha, 19. Padra, 20. Nayagawn (Gajaoura), 21. Maanpur, 22. Rajpur, 23. Chandupahadi, 24. Garetha, 25. Gugari, 26. Kundanpur (Gugar), 27. Laharra.

By order and in the name of the Governor of the
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी-15-05-2011-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 2332-2466-चौदह-1, दिनांक 30 मार्च 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि "उक्त मण्डी क्षेत्र" में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को सम्मिलित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मण्डी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को सम्मिलित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :—

अनुसूची

1. अमरपुर (देवरा), 2. बघरवारा, 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर, 5. रही, 6. बनोटा, 7. सलोरा (असली), 8. रूपनबारा, 9. प्राणपुरा, 10. दविया जगन, 11. नगरैला, 12. कुटावली, 13. बीरपुर, 14. चिरौना, 15. किशनपुरा, 16. दबियाकला, 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा, 20. नयागांव (गजोरा), 21. मानपुर, 22. राजपुर, 23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा, 25. गुगरी, 26. कुंदनपुर (गुगर), 27. लहरा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी-15-05-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2011

No. D-15-05-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification even No. 2332-2466-XIV-1, dated 30th March 1964 issued under the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Pichhore Tehsil of Shivpuri District, (here in after referred to as the "said market area".)

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by including within the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Pichhore Tehsil of Shivpuri District. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by including within at the "said area" From the "said market area". (here in after referred to as the "said area").

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

LIST

1. Amarapur (Devra), 2. Bagharwara, 3. Peepalkheda, 4. Ramnagar, 5. Rhi, 6. Banota, 7. Salora (Asli), 8. Rupanwara, 9. Pranpura, 10. Daviyal Jagan, 11. Nagrela, 12. Kutawali, 13. Birpur, 14. Chirouna, 15. Kishanpura, 16. Dabiyakala,

17. Badanpur, 18. Sujwaha, 19. Padra, 20. Nayagawn (Gajaoura), 21. Maanpur, 22. Rajpur, 23. Chandupahadi, 24. Garetha, 25. Gugari, 26. Kundanpur (Gugar), 27. Laharra.

By order and in the name of the Governor of the
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी-15-14-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति नसरूलागंज, जिला सीहोर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत लाडकुई, तहसील नसरूलागंज, जिला सीहोर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उप प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
 - (1) आम्बाकदीम, (2) सुआपानी, (3) हबीबनगर, (4) सिंहपुर, (5) रफीकगंज, (6) झाली, (7) नवलगांव, (8) सेवनिया, (9) भिलाई, (10) मरियाडो, (11) टीकामोड़, (12) सुनेढ़, (13) भादाकुई, (14) गुलरपुरा, (15) मांगरोल, (16) लाडकुई, (17) छापरी, (18) झिरनिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी-15-14-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2011

(1)

(2)

(3)

No. D-15-14-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated June 2011 the following area of Nasrullaganj of District Sehore shall be Sub market yard namely:—

2

244

0.105

3

245

0.490

4

246/2

0.140

5

247/2

0.192

योग . . . 2.023

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore.
- (2) An Area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub market yard namely:—

- (1) Ambakadeem, (2) Suapaani, (3) Habibnager, (4) Singhpur, (5) Rafiqganj, (6) Jhali, (7) Navalgawon, (8) Sevaniya, (9) Bhilai, (10) Mariyado, (11) Teekamod, (12) Suned, (13) Bhadakuai, (14) Gularpura, (15) Mangroal, (16) Ladkuai, (17) Chhapari, (18) Jhiriniya.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी-15-14-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1792/12674-चौदह-1, दिनांक 14 मई 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति नसरुल्लागंज के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत लाड़कुई तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	243	1.096

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री बनवीर सिंह चातक की कृषि भूमि.

दक्षिण में—आम्बा रोड.

पूर्व में— पक्की सड़क एवं नाला.

पश्चिम में—श्री रामलाल कृषक की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी-15-14-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2011

No. D-15-14-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Nasrullaganj has been established by this department's Notification even No. 1792-12674-XIV-1, dated 14th May 1968 shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 2.023 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore.

S. No.	Khasra No.	Area (In hectare)
(1)	(2)	(3)
1	243	1.096

(1)	(2)	(3)
2	244	0.105
3	245	0.490
4	246/2	0.140
5	247/2	0.192
Total . .		2.023

BOUNDED BY

On the North by—Agriculture Land of Hg Vanbeer Sing Chatak.

On the South by—Amba Road.

On the East by—Pakki Road and Nala.

On the West by—Land of Farmer Shri Ramlal.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. डी-15-07-2011-चौदह-3-संशोधन.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक डी-15-07-2011-चौदह-3, दिनांक 9 मार्च 2011 से कृषि उपज मण्डी समिति बानापुरा के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर में उप मण्डी क्षेत्र के स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था, जिसके सरल क्रमांक 1, खसरा क्रमांक 143/3, रकबा 2.00 एकड़ त्रुटिवश लिखा जाने के कारण उसके स्थान पर अब खसरा क्रमांक 183/3 रकबा 2.00 एकड़ पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

फा. क्र. 3(ए) 4-2011-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी) जिनकी वर्तमान पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शित है, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथासंशोधित) नियम 1994 के

नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक राज्य शासन, एतद्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रु. 51550—1230—58930—1380—63070 है, के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है:—

1. श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र
2. कुमारी साधना माहेश्वरी
3. श्री अवधेश कुमार सिंह
4. श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनि.)
5. श्री राजीव आप्टे
6. श्रीमती अलका दुबे
7. कु. जसवीर कौर सासन
8. श्री संजीव कुमार पाण्डे
9. श्री महेन्द्र कुमार जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जै. खान, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ-03-43-2011-दो-ए(3).—इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

“बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है.

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2011 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2011 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्तागणों को उनके वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश

दिनांक 25 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th June 2011

No. F-22-5-2008-VIII.—In Continuation of Notification F-22-5-2008-VIII, dated 4th March, 2011 Powers Conferred Under Rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules 1989. The State Government hereby permits The use of Red Light on the Top front of the Vehicles of Additional Advocate General in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
DILIP RAJ DWIVEDI, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 7 जून 2011

क्र. प.हे.-2011-624.—मण्डला जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध एवं अन्य बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें।

अतः मैं के. के. खरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मण्डला आपत्तिजनक हैजा विनियम, 1983 के नियम 3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मण्डला को अधिसूचित करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपचार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बांसी मिठाइयां, खराब वस्तुओं, सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी।

2. (क) ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल-सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली चाय, काफी, शर्बत, मांस, मछली, आईसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे। इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच की बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढंक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणु अथवा दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके।

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश की कण्डिका “क” (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा ना ही ले जायेगा।

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित हैं, और अन्य वस्तुओं के अधिग्रहण कराने, हटाने, नष्ट करने या ऐसी नीति के निर्वतन करने के लिए, जिसमें वह

मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके। अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करता हूँ:—

- (1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
- (2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी से पद के नीचे स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय।
- (3) ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो।
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत मण्डला/ नैनपुर/ बम्हनी।
- (5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सर्व) जिला मण्डला।

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्ढे, पोखरों, जल कुण्डी, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में संचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग के लिये आदेश दे सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो, प्रभावशील होगा।

के. के. खरे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 8220-एससी-2011.—मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा (अ) विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, जठर, आंत्रशोथ आदि रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला विदिशा की सम्पूर्ण सीमा को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह माह की कालावधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा विनियमन नियम, 1979 के नियम 2 के उपनियम (घ) एवं (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक सर्जन, सिविल सर्जन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आरक्षी अधिकारी, खाद्य निरीक्षक (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य निरीक्षक नगरपालिका/ नगर पंचायत को इस अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिए उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ।

क्र. 8220-एससी-2011.—विदिशा जिले में संक्रामक रोग हैजा आदि के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें।

अतः, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण विदिशा जिले को अधिसूचित घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिए खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदान करने के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री पर पावंदी लगाई जावे।
2. ताजी मिठाईयां, नमकीन, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शबरत, मांस, मछली, अण्डे, आईसक्रीम, कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें।
3. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे।
4. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुंड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे और रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे।
5. ग्रामीण क्षेत्र में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में न लाया जावे, हैण्डपंप का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे, ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोत की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण के पश्चात् जल का उपयोग किया जावे।
6. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे।
7. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवसायी के अन्तर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे।

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण "क" (1) से (7) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा।

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है, और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ :—

1. जिले के समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् विदिशा/बासौदा/सिरोंज.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/शमशाबाद/लटेरी.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा/बासौदा/सिरोंज/नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी.

7. स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक विदिशा/बासौदा/सिरोंज/नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी/शमशाबाद.

3. उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल सण्डासों, संक्रमक वस्तुओं, बिस्तरों, कुड़-करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी हआते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निर्वतन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे.

4. उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जायेगा.

5. संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो अन्य आर्थित दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.

यह आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील होगा.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-43-2011-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिये विभागीय परीक्षाएं दिनांक 25 जुलाई 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होंगी:—

प्रश्न पत्र (1)	प्रश्न पत्र का विषय (2)	समय (3)
--------------------	----------------------------	------------

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2011

1. पहला प्रश्नपत्र—दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).
3. विधि तथा प्रक्रिया—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)
4. विधि तथा प्रक्रिया—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).
5. पहला प्रश्नपत्र—सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
59.	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011		
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011		
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2011		
33.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 1.00 बजे तक.
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68	तृतीय प्रश्नपत्र-महिला एवं बाल कल्याण-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
53.	सहायक संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
69.	चतुर्थ प्रश्नपत्र-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2011		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ-3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्षों/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई 2011 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- (5) माह जुलाई, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों क्रमशः क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 सम्मिलित किये गये हैं. अतः इन विषयों में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अधिकारियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें एवं अन्य सभी निदेश पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार ही होंगे.
- (6) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें, इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन, अवर सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 27 मई 2011

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	हमीदगंज	1.280	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा (संयुक्त) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोरखेड़ाखुर्द	2.282	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा (संयुक्त) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	घुटवानी	1.379	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा (संयुक्त) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	किशनपुर	11.653	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा (संयुक्त) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	सीलकंट	6.115	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	अतरालिया उप नहर की टेल माइनर हेतु.
(2)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 10 जून 2011

प्र.क्र.-06-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दासौर	भानपुरा	लेदीकला	6.503	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	लेदी तालाब योजना (पूरक प्रकरण)
		लेदीखुर्द	0.840		
		ओसरना	1.460		
		मोखमपुरा	1.600		
योग :			10.403		

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 283-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	जमुनातोर	13.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भिलसाय तालाब के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-529-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11-3080.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	बंधवाटोला	0.857	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, म.प्र.	बंधवाटोला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
		भठिया	3.783		
		कोल्हुआ	0.225		
		करचुल	1.754		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 949-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	माण्डवा बुजुर्ग	1.214	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 950-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	रेहटिया	1.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 948-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	डेहरिया	5.505	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 947-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बोरगांव	2.928	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-530-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप
			ख. नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
रायसेन	गैरतगंज	बेरखेड़ी	36/1	1.984	0.525	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, गैरतगंज.	बेरखेड़ी जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			48/1/1/3	0.737	0.636		
			36/2	0.428	0.243		
			46/5	1.999	1.594		
			37	2.258	1.456		
			38	0.138	0.016		
			42/2/3/1	3.172	1.456		
			39/1/1/1	1.011	0.202		
			39/1/2	2.092	1.456		
			40	0.551	0.531		
			124/1/2	2.855	1.861		
			124/2	1.218	1.220		
			41	0.206	0.206		
			43	0.361	0.361		
			42/1	2.833	2.833		
			42/2/2	1.672	1.537		
			42/2/1/1	3.298	3.298		
			42/2/1/2	0.607	0.607		
			44/1	2.023	2.023		
			44/2/3/2/2	1.273	0.809		
			118	2.331	2.331		
			120	0.963	0.963		
			44/2/1/1/1	0.648	0.648		
			44/2/2/3	1.214	1.051		
			44/2/3/1/2	1.214	1.214		
			44/2/3/2/1	0.405	0.405		
			44/2/1/1/2	0.648	0.648		
			44/2/2/2	1.214	1.214		
			44/2/1/1/3	0.708	0.708		
			44/2/2/4	1.214	0.890		
			44/2/1/2	0.117	0.117		
			44/2/3/1/1	0.405	0.041		
			44/2/2/1	0.405	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			46/1	1.271	1.047
			46/2	1.821	1.619
			46/3/1/1	0.971	0.648
			46/3/1/2	0.971	0.648
			46/3/1/3	0.486	0.324
			48/2/5/1	0.486	0.267
			46/3/2	0.809	0.607
			46/4/2	0.809	0.607
			46/4/1	1.619	1.214
			47	0.089	0.089
			48/1/1/1	1.214	1.214
			48/1/1/2	1.214	1.214
			48/2/4	2.428	0.405
			48/2/5/2	0.971	0.534
			48/2/5/3	0.971	0.534
			48/2/6/1	1.214	0.802
			48/2/6/2	1.214	0.769
			48/2/7/1	0.405	0.405
			220/49/2/1	0.809	0.809
			48/2/7/2	0.809	0.809
			48/2/8	2.428	1.960
			48/2/9/1	1.823	1.823
			48/2/9/2	0.607	0.202
			48/2/10/1	1.010	1.010
			48/2/10/2	1.416	1.416
			48/2/11/1	1.112	1.112
			48/2/11/2	1.112	1.112
			49	0.146	0.146
			116/2/2	5.754	1.700
			117	0.081	0.081
			119/1	1.422	1.422
			122	0.134	0.134
			121	0.117	0.117
			123	0.113	0.113
			220/49/1/1	1.422	1.019
			48/3	0.085	0.085
			220/49/3	2.428	1.214
			220/49/1/2	1.354	0.740
			220/49/2/2/1	0.405	0.240
			50/2	0.848	0.202
			50/1	1.680	0.288
			48/2/2/2	1.214	0.202
			220/49/2/2/2	1.214	0.405
			योग :	60.048	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11-(भू-अ.अ.)-11-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
जबलपुर	कुण्डम	देवरी, प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347	2.92	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	डोली जलाशय की माइनर नहर के लिये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-10-11-(भू-अ.अ.)-11-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
जबलपुर	कुण्डम	डोली, प.ह.नं. 61/8, न.बं. 78	0.85	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-10-11-भू-अ.अ.-11-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	देवरी, प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347	3.29	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11-भू-अ.अ.-11-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	जमोड़ी, प.ह.नं. 61/8, न.बं.	2.39	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र.क्र. 08-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	देवपुर	6.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर.	भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व), बिजावर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 09-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	मनकपुरा	3.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर.	भेलदा तालाब के बांध निर्माण एवं भराव क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व), बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 1002-प्रका-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर रीवा	बरा 396	0.199	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 21 जून 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-165.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के पद (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि का विवरण (हेक्टेयर में)			धारा 4(2) के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय	निजी	योग	अंतर्गत	प्रयोजन का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	बडौद	मदकोटा	73.22	263.22	336.44	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर, म.प्र.	कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
			योग :	263.22	336.44		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 25 मार्च 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11-क्र. 150.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—हाटपीपल्या
(ग) ग्राम—हाटपीपल्या
(घ) क्षेत्रफल—0.381 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
949/3ख/2पैकी	0.381
योग . .	<u>0.381</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कृषि उपज मण्डी प्रांगण विकास विस्तार हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी हाटपीपल्या के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 मई 2011

रा.मा. क्र. 13 अ-82 वर्ष 2010-2011 पत्र क्र. 7090-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो

गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—नरसिंहपुर
(ग) ग्राम—मेहगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.320 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
134/1	0.080
134/2	0.120
185/1	0.020
132/1	0.420
137	0.100
170/2	0.200
170/3	0.150
171,172	0.120
166/2	0.030
170/4	0.080
कुल योग . .	<u>1.320</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मेहगांव जलाशय के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 6 जून 2011

राजस्व प्रकरण क्र. 08-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—नेपानगर
(ग) ग्राम—धुलकोट
(घ) क्षेत्रफल—लगभग—0.99 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
245	0.10
246/1	0.14
294	0.12
227	0.19
181	0.07
180	0.06
179	0.11
88/1	0.05
89	0.15
योग . .	0.99

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कुम्हार नाला तालाब योजना उप नहरों के कार्य हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गरोट, दिनांक 10 जून 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की श्रीनगर तालाब से नहर योजना के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—भानपुरा
(ग) ग्राम—नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.142 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
766/2	0.142
योग . .	0.142

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—श्रीनगर तालाब से नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोट, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 15 जून 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग)	ग्राम—बुधनवाडा, बडगंवाकलॉ, मुरपार, मोहडपपलई, बम्होरी, देवरी	(1)	(2)	(3)	
(घ)	कुल अर्जित रकबा—50-569 हेक्टर	145	1.437	0.167	
	ग्राम—बुधनवाडा	146	2.302	0.216	
		186	3.266	0.207	
खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे.में)	184/3/2	1.790	0.167
(1)	(2)	(3)	185/1	2.673	0.081
			185/2/1/1	0.809	0.059
			185/2/1/2	0.529	0.005
99/1/1	2.407	0.066	185/2/2	1.337	0.227
99/1/2	2.402	0.264	198	6.398	0.158
99/2/1	2.428	0.251	201/2	0.809	0.184
99/2/2	2.384	0.330	201/3	0.859	0.095
134/1	1.214	0.198	201/4	1.214	0.045
134/2	1.173	0.079	201/1	1.886	0.124
132	1.441	0.120	202	2.448	0.122
214	2.444	0.280	203/2	0.809	0.014
213/2	0.607	0.036	277/1/1	2.752	0.018
217	1.052	0.119	277/2	1.011	0.122
98/1/2/4	0.405	0.260	277/3	1.011	0.108
102/1	0.534	0.152	277/1/3	0.809	0.009
216/3	0.793	0.083	278/1	1.619	0.113
46/1/1	1.820	0.144	283/1	5.764	0.112
46/1/2	0.188	0.072	283/2	2.000	0.117
97	2.489	0.165	307/1	3.436	0.079
96	1.651	0.184	307/2	3.436	0.110
114/1	0.619	0.183	308/1	1.729	0.175
114/2	0.627	0.090	309	2.182	0.296
115/1	0.530	0.061	355	1.522	0.144
115/2	1.619	0.137	356/1	0.930	0.080
116/2	0.746	0.030	356/2	0.466	0.068
137	3.205	0.018	385	0.466	0.022
138	3.209	0.484	386/1	0.949	0.198
139	1.598	0.332	231	1.125	0.022
140	2.023	0.265	235	2.213	0.247
231	1.125	0.054	237/1/1	0.809	0.112
236	0.421	0.090	237/2	0.405	0.094
238/1	1.753	0.126	238/1	1.753	0.049
240/1	2.128	0.024	240/1	2.128	0.031
240/2	1.700	0.066	242/2	1.283	0.013
			242/1	1.283	0.076
			111/1/2	2.103	0.117
			112/1	0.603	0.043
			112/2	0.603	0.087

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
148/2/1	0.866	0.022	13/1	1.384	0.086
149	0.551	0.121	13/2	1.384	0.133
150/1	0.744	0.166	5/2	6.207	0.158
150/2/2	2.024	0.175	11	4.569	0.148
151/1	1.125	0.094	47/1/2	1.890	0.192
183/1/1	2.405	0.072	7/2/2	0.809	0.106
183/2/2	1.214	0.099	7/1/1/1	1.619	0.195
182	1.214	0.117	17	2.428	0.223
181/2/2	1.619	0.041	12	5.325	0.223
175/1/1/1	0.405	0.108	18/2	1.619	0.090
175/2	0.777	0.175	16	2.428	0.247
180/2	1.112	0.162	15/2/1	1.214	0.018
179	0.450	0.058	9/1/1	1.860	0.292
204	1.214	0.162	9/2/1	2.428	0.068
205/1	1.214	0.405	4/2/1	2.707	0.022
176	1.983	0.203	15/2/2	0.917	0.068
206/2	1.420	0.018	15/1/2	0.809	0.059
221/2	1.011	0.054	15/1/1	1.512	0.086
222	0.968	0.068	9/1/2	4.552	0.060
259	1.744	0.265	9/3/2/1	0.809	0.152
271	4.569	0.031	48	1.133	0.090
272	4.257	0.427			
273/2	1.214	0.225		ग्राम—मुरपार	
275	4.711	0.346	71/1	4.051	0.201
276	6.074	0.184	71/2	0.405	0.078
305	2.958	0.202	72/1	1.234	0.135
306/2	1.682	0.189	70/2	12.847	0.193
299	1.012	0.018	19/1/1	1.142	0.086
300/1	1.619	0.099	18/3	1.146	0.172
301	4.205	0.220	22/1	1.797	0.042
304	3.266	0.099	22/2/1	0.315	0.062
331	0.713	0.045	22/2/2	0.899	0.067
296/1	1.101	0.108	24/2/1/2	0.766	0.009
296/2	1.101	0.115	24/2/2	1.517	0.135
298	2.023	0.252	23	1.214	0.096
311/1	0.348	0.045	25/2/2	0.809	0.126
310	3.132	0.202	26	7.527	0.166
313/2/1	0.457	0.019	28/1/1	1.619	0.096
313/2/2	2.832	0.222	28/1/2	2.833	0.033
	ग्राम—बडगंवाकलॉ		28/2	2.023	0.096
5/3	2.023	0.051	78/2	6.069	0.531
5/4	2.023	0.045	99/1	1.619	0.309
5/1	6.189	0.710	99/2	1.404	0.018
			100/1	0.498	0.067

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
222/4/1	2.044	0.103	271/2/2	0.607	0.078
254/3	1.065	0.184	279/1/1/2	0.202	0.058
255/4	0.720	0.162	181/2	1.667	0.144
36	2.930	0.230	285/2	4.139	0.273
35/1	1.356	0.090	281	2.776	0.273
255/6	0.720	0.067	283/2	0.579	0.040
33/1	2.120	0.187	282	3.768	0.060
33/2/1	1.619	0.152	262/1/1	1.065	0.098
33/2/2	2.028	0.136	262/1/2	1.065	0.086
19/2	0.809	0.110			
124	0.911	0.129			
125	0.911	0.062			
126/1/1/1	0.809	0.117	316/1/1/1	1.923	0.105
33/2/3	2.028	0.136	316/1/1/2	0.405	0.226
126/1/1/2	1.214	0.117	316/1/2	1.214	0.378
132	2.291	0.238	316/2/1	1.112	0.135
133	0.648	0.043	319/1	0.809	0.108
204/2	1.856	0.117	321/2	1.417	0.171
203/2	2.936	0.254	324	4.803	0.162
183/1	0.405	0.020	325	5.710	0.247
183/2	0.405	0.043	319/2	0.809	0.108
183/3/1/1	0.405	0.031	287	1.509	0.067
183/3/1/2	1.639	0.169	286	1.311	0.090
182	2.772	0.162	338	4.452	0.157
181/1	1.667	0.162	340	7.984	0.360
56	1.842	0.164	330/2	1.214	0.140
53	1.141	0.050	330/5/1	0.202	0.045
164	1.978	0.054	330/5/2	0.405	0.068
163	1.983	0.165	343	1.170	0.137
60	2.121	0.016	346	4.621	0.125
59/1	1.214	0.164	348/1	0.863	0.180
59/2/1	0.841	0.020	347/2	2.558	0.036
74/2/2	0.405	0.040	500	1.012	0.096
73	2.145	0.175	490/1/4	1.214	0.048
72/3	2.775	0.144	490/1/2	0.809	0.030
59/2/2	2.051	0.176	490/2/2	1.214	0.120
89	0.413	0.030	490/2/3	0.405	0.024
99/1	1.295	0.180	490/2/4	1.214	0.120
102	7.406	0.796	486/1/3	3.318	0.144
97	1.222	0.022	486/2	5.098	0.132
271/1/1	0.405	0.086	485/1	2.011	0.180
80	2.120	0.216	342	4.767	0.216
81	1.238	0.212	351/2	1.619	0.080
271/2/1/2	0.405	0.020	351/3	1.214	0.126
			356/2	2.428	0.162

ग्राम—देवरी

(1)	(2)	(3)
354/1/1	1.012	0.054
354/1/2	1.012	0.054
354/1/3/2	0.809	0.108
354/2	2.428	0.144
358	3.783	0.150
362/1	3.238	0.206
308/1	0.817	0.105
308/2	0.809	0.195
362/2	2.879	0.222
355	3.238	0.006
306	2.278	0.465
307	0.850	0.045
313	1.619	0.120
315/1	0.817	0.101
315/2	1.619	0.108
योग . .	<u>647.678</u>	<u>50.569</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोघा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 795-वाचक-प्र. क्र. 14-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—मनावर

- (ग) ग्राम—पिपरी (पूरक)
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.139 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
131//3/3/1, 331/3/2/2	0.941
131/3/1	0.093
251/1/1, 252/1	0.105
योग :	<u>1.139</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 124975 मी. से 127090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
 (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
 (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 17 जून 2011

क्र.809-वाचक-प्र.क्र.03-अ-82-2010-11 संशोधन.—कार्यालय पत्र क्र./वाचक/प्र. क्र. 03/अ-82-2010-2011.—धार, दिनांक 18 मार्च 11, ग्राम पिपलटोका, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 1.544 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1157 पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 के अंक में तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः नवभारत में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में तथा चौथा संसार में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—मनावर
 (ग) ग्राम—पिपलटोका

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.544 हेक्टर.		(1)	(2)
पूर्व में प्रकाशित	अब प्रकाशित होने वाला	60/7	0.016
संशोधन		60/8	0.016
सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा
(हे. में)	(हे. में)	(हे. में)	(हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
19/4	0.187	9/4	0.187
15	0.035	16	0.035
		योग :	1.098

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

धार, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 6546-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—मुकुन्दपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.098 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
23/1	0.120
24	0.040
25	0.060
27	0.150
37	0.048
39/1	0.085
39/2	0.085
47/1/1	0.040
54/10/1	0.012
55/1	0.140
56/8	0.024
56/9	0.024
58	0.140
60/3	0.066
60/6	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं—इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यलय में कार्यलयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्र. 15-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—काशीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.875 हैक्टेयर
निजी भूमि—5.875 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा नं.	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
258	0.051
200	0.046
316/1	0.092
316/2	0.092

(1)	(2)	(1)	(2)
378	0.102	673	0.215
379	0.152	674	0.092
416	0.030	676	0.107
421	0.046	681/अ	0.048
422	0.046	682	0.092
424	0.030	713	0.046
426/1	0.080	714	0.012
426/3/1	0.040	715	0.070
428	0.001	719	0.061
429	0.076	720	0.061
516/1	0.184	721	0.016
528/2	0.092	722/1	0.252
530	0.184	730	0.030
531	0.135	811/1	0.034
535	0.110	811/2	0.034
588	0.129	811/3	0.034
590/1/अ	0.140	812	0.016
590/2/अ	0.084	831	0.025
590/1/ब	0.083	832	0.035
597/अ	0.184	833	0.030
597/1/ब	0.100	839	0.056
597/ख/2	0.024	840	0.015
597/3/ख	0.048	843/1	0.019
600/1	0.082	843/2	0.038
601	0.010	843/3	0.019
602/1	0.184	844	0.030
602/2	0.046	845	0.030
602/3	0.092	864	0.047
603/2	0.092	865	0.114
603/3	0.016	868	0.021
608	0.092	869	0.061
610	0.030	871	0.061
615	0.061	872	0.245
616	0.030	873/615	0.110
617	0.061		
618/अ	0.368		
619	0.018		
671	0.076		

योग : 5.875

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—नन्दगाय (खुर्द)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.867 हैक्टेयर

निजी भूमि—2.867 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

140

0.300

150

0.013

151

0.089

152

0.016

153

0.051

154

0.046

155

0.015

167

0.038

169/1

0.107

169/2

0.108

174

0.163

192

0.112

206/1

0.015

207

0.076

208

0.010

209

0.015

211

0.092

212/2

0.078

213

0.007

214/1

0.010

214/2

0.008

227

0.122

228/1

0.013

(1)

228/2

246

247

248/1

248/2

249

273

274

276

285

योग :

2.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—रमपुरां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.114 हैक्टेयर

निजी भूमि—11.114 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

21/1/5

0.117

21/1/8

0.100

21/2

0.025

21/3/1

0.111

21/3/2

0.106

21/4/1

0.047

21/4/2

0.047

(1)	(2)	(1)	(2)
224/1	0.050	299/2	0.015
224/2/1	0.040	322	0.010
224/2/2	0.040	323	0.025
224/3	0.010	324	0.016
224/4	0.050	325/1	0.012
224/5/1	0.040	325/2	0.060
224/5/2	0.045	327/1	0.080
227/1	0.060	327/2	0.080
227/2	0.060	330/1	0.020
227/3/1	0.050	330/2	0.020
227/3/2	0.020	331/4	0.160
227/4	0.050	333	0.400
229/2	0.130	337/1/1	0.010
231	0.240	337/1/2	0.050
234/1/1	0.110	337/2/1	0.047
234/1/2	0.110	337/2/2	0.047
234/3	0.050	337/2/3	0.100
234/4	0.220	437	0.014
234/5	0.060	467	0.025
234/6/1/1	0.260	468	0.035
234/6/1/2	0.060	469	0.045
234/6/2	0.060	470	0.045
236	0.160	471/1	0.024
258	0.050	471/2	0.024
259	0.050	472/1	0.010
272	0.060	472/2/1	0.016
273	0.151	504	0.096
274	0.020	505	0.110
275/1	0.044	506	0.019
277	0.350	510/1	0.015
293/1	0.040	510/2	0.020
293/2	0.081	513/1	0.030
294	0.096	513/2	0.010
296	0.096	513/3	0.020
297	0.054	514	0.006
298	0.128	515/1	0.090
299/अ	0.020	515/2/1	0.015
299/ब	0.015	515/2/2	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
		667/ब	0.100
517	0.220	669	0.013
537/1	0.020	670	0.052
537/2	0.020	671	0.056
537/3/1	0.010	672	0.076
537/3/2	0.010	778/1	0.230
538/1/1	0.005	778/2	0.060
538/1/2	0.005	837/1/1	0.130
538/2	0.010	837/1/2	0.020
538/3	0.010	837/2	0.150
539/1/1	0.055	865/1	0.130
539/1/2	0.050	894	0.076
593/2	0.010	897	0.166
595/1/1	0.030	898	0.195
595/1/2	0.030	900/2	0.180
595/2	0.040	901	0.040
595/3	0.070	902/1	0.100
596/2	0.040	902/2	0.120
597	0.080	903	0.016
599	0.005	904/1	0.600
600	0.029	904/2	0.120
601	0.029		
602/1	0.130		
605	0.160		
610/1	0.050		
610/2	0.100		
611/2	0.040		
614/1	0.280		
614/2	0.060		
632	0.200		
633/1	0.210		
636	0.290		
637	0.112		
649	0.232		
660	0.013		
661	0.026		
664	0.019		
665	0.064		
666	0.096		

योग : 11.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 86-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) नगर/ग्राम—रमझाला

(ग) ग्राम—सिमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.845 हेक्टर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.707 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)	भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
560/1/1	0.032	212	0.054
560/1/2	0.070	213	0.070
561/1	0.018	214	0.142
561/2	0.073	219	0.058
562	0.050	220/1	0.050
563	0.067	220/2	0.043
564	0.018	224/1	0.076
584	0.215	224/2	0.020
585	0.080	225	0.018
586/1	0.112	264	0.030
586/2	0.045	265	0.036
586/2/2	0.065	266	0.166
योग :	<u>0.845</u>	267	0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यासबदौरा वितरक नहर के निर्माण हेतु .		268	0.118
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.		280	0.050
		281	0.043
		282	0.015
		301	0.123
		302	0.128
		303	0.043
		382	0.028
		383	0.022
		394	0.008
		395/2	0.042
		395/3	0.082
		395/4	0.040
		396	0.030
		397	0.080
		401	0.012
		487/1/1/1	0.034
		487/1/1/2	0.030
		487/1/2/2	0.064
		487/1/4	0.072
		493	0.043
		494/1	0.070
(1) भूमि का वर्णन—		494/2	0.077
(क) जिला—छतरपुर		495	0.098
(ख) तहसील—चंदला		496	0.043

(1)	(2)	(1)	(2)
500	0.012	829	0.23
501	0.063	830	0.095
502	0.038	834	0.06
519/2	0.138	835	0.08
520	0.082	836	0.005
523	0.080	854	0.075
532/503	0.050	846	0.03
536/383	0.056	848	0.05
योग :	<u>2.707</u>	849	0.022
(2) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.		850	0.03
		852	0.12
		853	0.14
		872/2	0.108
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है.		872/3	0.114
		873/3/2	0.12
		873/3/1	0.080
		897	0.14
छतरपुर, दिनांक 22 जून 2011		898/1	0.02
		898/2	0.04
प्र. क्र.-63-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		899/1	0.08
		899/2	0.06
		902	0.12
		912	0.09
		913	0.12
		914	0.100
		916	0.002
		924	0.07
		925	0.052
(1) भूमि का वर्णन—		927/1	0.034
(क) जिला—छतरपुर		929	0.93
(ख) तहसील—चंदला		योग :	<u>2.500</u>
(ग) ग्राम—भगौरा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—6.614 हेक्टर.		भगौरा, माइनर नं. 2 नहर	
भू-अर्जन खसरा विवरण	खसरे का क्षेत्रफल	1046	0.095
से भू-खण्डों की संख्या	अर्जित	1047	0.09
	(हेक्टर में)	1053	0.035
(1)	(2)	1055	0.108
		1279/1/2	0.400
भगौरा, माइनर नं. 1		1280	0.002
822/1	0.02	1281	0.032
822/2	0.04	1282/1	0.152
823	0.06	1282/2	0.215

(1)	(2)
1283/1	0.33
1291	0.048
1292	0.076
1298	0.06
1299	0.062
1300/1	0.197
1309	0.12
1310	0.241
1313	0.048
1314	0.073
1315	0.084
1316	0.04
1320	0.02
1322	0.11
1323	0.152
1324/2	0.165
योग :	<u>2.955</u>

दुमखेड़ा, वितरक क्र. 1 नहर

1200	0.005
1202	0.069
1210	0.126
1211	0.095
1212	0.067
1214	0.195
1215	0.023
1221	0.052
1222/2	0.256
1222/4/1	0.076
1222/5/2	0.138
1391/1215	0.057
योग :	<u>1.159</u>
कुल योग :	<u>6.614</u>

(2) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की भगौरा माइनर नं. 1, 2 एवं दुमखेड़ा वितरक क्र. 1 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-63-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—छतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.517 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण
से भू-खण्डों की संख्याखसरे का क्षेत्रफल
अर्जित
(हेक्टर में)

(1)

(2)

छतपुरा, माइनर नं. 1

211	0.005
214	0.070
215	0.004
216	0.110
217	0.09
232/3	0.004
234	0.111
235	0.004
236	0.168
237	0.05
241	0.044
242	0.05
514/2	0.033
515	0.080
516	0.048
517	0.044
518	0.044
519	0.03
539	0.025
540	0.066
542	0.133
558/1/1	0.065
558/2	0.035
561	0.015

(1)	(2)
566	0.21
569	0.08
570	0.002
योग :	<u>1.620</u>

छतपुरा, माइनर नं. 2

277/2	0.18
304	0.070
305	0.048
306	0.040
307	0.025
308	0.080
309	0.051
346/1	0.002
346/2	0.002
348/2	0.033
460/2/1	0.082
464/1	0.15
465	0.100
466	0.064
475	0.200
481	0.130
482	0.010
488/3/1	0.30
489	0.100
490/1	0.03
490/2	0.03
490/3	0.03
491	0.100
277/1	0.14

योग : 1.897कुल योग : 3.517

- (2) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की छतपुरा माइनर नं. 1, एवं 2 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-68-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—रावपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.470 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल
से भू-खण्डों की संख्या अर्जित
(हेक्टर में)

(1) (2)

54/1 0.105

54/2 0.030

55 0.105

56/1 0.030

177/1 0.075

178 0.075

180/1 0.050

योग : 0.470

- (2) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उदयपुर वितरक शाखा नहर की भगौरा माइनर नं. 1, एवं 2 नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्र. 01-अ-82-10-11(भू.अ.अ.)11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—बटई, प.ह.नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.05 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
206	0.38
308	0.02
306	0.07
305/1, 305/2	0.16
304	0.20
287	0.36
293/1, 293/2	0.15
294	0.02
295	0.03
296	0.08
224	0.30
212/1, 212/2	0.28
213	0.02
211	0.10
197	0.42
193	0.22
192	0.24

योग : 3.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-10-11(भू.अ.ज.)11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—डुगरगवां, प.ह.नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.03 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
150	0.05
159	0.18
160	0.02
161	0.06
162	0.72
योग : <u>1.03</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 299-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—भैसासुर, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.506 हेक्टर.

(ग) नगर/ग्राम—खेरवाकला, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.007 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	भू-अर्जन हेतु वांछित रकबा (हेक्टर में)	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
231	0.596	0.596	446	0.282	0.195
232	0.596	0.596	457/1ख	0.497	0.040
233	0.533	0.533	452	0.303	0.303
241	0.376	0.376	451/2	0.365	0.365
234	1.536	1.536	454	0.690	0.320
238	0.073	0.073	458	0.219	0.140
240	0.428	0.428	459	0.272	0.220
235/1क	0.548	0.548	461/2	0.669	0.593
239/2	0.125	0.125	464	0.355	0.355
242/1ख	0.486	0.486	467	1.484	1.484
242/2	0.209	0.209	472	0.387	0.387
योग . .	<u>5.506</u>	<u>5.506</u>	473	0.491	0.491
			474	0.334	0.334
			475	0.261	0.261
			476/2	0.794	0.794
			478	0.418	0.401
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेंटेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.			479	1.359	1.359
			480/1क	0.659	0.595
			448/1	0.397	0.397
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.			450/1	0.282	0.282
			453/1	0.706	0.706
			566/453/1	0.011	0.011
			453/2	0.353	0.353
			566/453/2	0.005	0.005
क्र. 300-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			453/3	0.352	0.352
			566/453 /3	0.005	0.005
			462/2	0.384	0.384
			462/3	0.384	0.384
			462/4	0.324	0.324
			463/1क	0.207	0.207
			470/1	0.052	0.052
			463/1ख	0.199	0.199
			463/1ग	0.199	0.199
			463/1घ	0.199	0.199
(1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन/निजी खाता)			463/1ङ	0.199	0.199
(क) जिला—सतना			463/2	1.003	1.003
(ख) तहसील—मैहर			470/2	0.052	0.052
			466/1क	0.294	0.294

(1)	(2)	(3)
466/3	0.376	0.376
468/क/1	0.292	0.292
468/क/2	0.293	0.293
468/1ख	0.293	0.293
468/2	0.292	0.292
469/1	0.397	0.397
469/2	0.397	0.397
471/1	0.413	0.413
565/466/1	0.010	0.010
योग . .	<u>19.650</u>	<u>17.007</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 301 भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—लोही, प.ह.नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.617 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किए जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
324	0.02	0.021
325	0.05	0.052
326	0.06	0.063
327	0.02	0.021
331	0.17	0.167
328	0.02	0.021
329	0.14	0.136
330	0.14	0.136
योग . .	<u>0.617</u>	<u>0.617</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 302 भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—भरौली, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.955 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
144	0.325	0.081
147	0.031	0.031
161	0.167	0.083
162	0.073	0.073
163	0.209	0.105
178	0.125	0.075
179	0.073	0.073
623	0.167	0.167
631	0.334	0.334
633	0.282	0.282
180	0.084	0.084
649/1	0.149	0.149
650/1	0.118	0.118
670/2	0.352	0.352
670/1क	0.115	0.115
630/3	0.094	0.094
670/1ख	0.209	0.209
670/1ग	0.209	0.209
190	0.146	0.079
191	0.178	0.090
192	0.084	0.084

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
193	0.167	0.050	697	0.293	0.150
216	0.105	0.105	1512/672/1क	0.115	0.115
217	0.125	0.125	1544/691/1	0.261	0.261
218	0.084	0.084	660/1	0.157	0.157
615/1ख	0.127	0.127	616/2	0.094	0.094
674/1ख	0.031	0.031	632/1	0.418	0.418
614	0.063	0.063	632/2	0.105	0.105
615/1क	0.127	0.127	645/1	0.204	0.204
615/1ग	0.070	0.070	645/2	0.204	0.204
220	0.449	0.280	649/2	0.269	0.269
586	0.512	0.260	670/3	0.309	0.309
627	0.282	0.282	651/1	0.199	0.199
588	0.178	0.178	661/1	0.011	0.011
590	0.199	0.199	676/1/क	0.089	0.089
604	0.063	0.063	676/1ख	0.089	0.089
606	0.042	0.042	676/2	0.178	0.178
602/1	0.042	0.042	690/1	0.595	0.509
602/2	0.031	0.031	703/1	0.221	0.092
603/1	0.084	0.084	705/1	0.146	0.105
603/2	0.084	0.084	670/5	0.504	0.504
610	0.261	0.261	योग	<u>15.501</u>	<u>12.955</u>
618	0.209	0.209			
624	0.167	0.167			
630/2	0.042	0.042			
630/1	0.209	0.209			
625	0.146	0.146	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक		
626	0.094	0.094	है—रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.		
634	0.240	0.060	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-		
639	0.261	0.065	अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		
640	0.261	0.066			
641	0.271	0.065	क्र. 303 भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		
646	0.408	0.408	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		
647	0.125	0.125	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन		
653	0.167	0.167	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
658	0.115	0.115	संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,		
659	0.303	0.303	इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त		
704/1	0.294	0.099	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
675	0.136	0.136			
615/2	0.324	0.324	अनुसूची		
692/1क	0.309	0.309	(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)		
692/1ख	0.309	0.309	(क) जिला—सतना		
			(ख) तहसील—मैहर		

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
(ग) नगर/ग्राम—इटहरा, प.ह.नं. 28			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.837 हेक्टर.			3/1/घ/3	0.108	0.108
			3/1क/2	0.091	0.091
			30/1	0.167	0.167
			32/1	0.449	0.449
			39/1क/1	0.010	0.010
4	0.105	0.105	39/1ख	0.293	0.293
5	0.094	0.094	57/3	0.993	0.993
7	0.314	0.314	59/1	0.46	0.46
23	0.24	0.24	34/2	0.12	0.12
42	0.199	0.154	36/1क/1	0.324	0.324
33/3	0.334	0.334	33/1क	0.638	0.638
24	0.261	0.261	योग . .	23.184	12.837
26	0.314	0.314			
27	0.178	0.178			
28	0.428	0.428			
34/1	0.12	0.12			
35	0.293	0.293			
37	0.271	0.271			
38	0.157	0.157			
41	0.188	0.188			
54	0.251	0.251			
52/1	0.105	0.105			
55	0.366	0.366			
195	0.313	0.313			
60	1.599	0.612			
97	0.721	0.354			
189	2.153	0.23			
191/1क1	0.331	0.331			
191/1क2	0.146	0.146			
196	1.098	0.05			
197/1	0.011	0.011			
197/2	0.010	0.010			
197/3	0.010	0.010			
194/1	0.188	0.188			
199	4.023	0.59			
607/199/1	0.210	0.049			
208	0.136	0.136			
209/1	0.747	0.095			
209/2	0.747	0.100			
210/1क/1	0.730	0.730			
214	1.139	0.260			
210/2	0.418	0.418			
210	0.367	0.162			
3/1/घ/1	0.108	0.108			
3/1घ/2	0.108	0.108			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 304-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—बेरमा, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.049 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
			2846	0.094	0.094
			2847	0.084	0.084
			2858	0.042	0.042
			2848	0.042	0.042
			2850	0.073	0.073
			2849	0.105	0.105
			2854/1	0.027	0.027
			2865	0.240	0.240
			2869	0.136	0.136
			2870/1क/1	0.982	0.982

(1)	(2)	(3)
2870/2क/1	0.256	0.256
2870/2क/2	0.257	0.257
2870/2क/3	0.256	0.256
2870/2क/4	0.256	0.256
2867/2	0.199	0.199
योग . .	<u>3.049</u>	<u>3.049</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 3153-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—बाजना
(ग) ग्राम—इमलीपाड़ा कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.00 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
298	1.15
299	0.17
302	0.26
314	0.42
योग . .	<u>2.00</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कृषि उपज उपमंडी बाजना के स्थापना में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 1004-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सोनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.0416 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
691 में से	0.0416
म. प्र. शासन	-
निजी भूमि	0.0416
योग . .	<u>0.0416</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1006-भू-अर्जन-05-06.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—टिकुरी 225
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.106 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241 में से	0.0864
245 में से	0.0196
म. प्र. शासन	-
निजी भूमि	0.106
योग . .	0.106

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1008-भू-अर्जन-05-06.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
60 में से	0.07
141 में से	0.0924
261 में से	0.2406
230 में से	0.008
510 में से	0.009
511 में से	0.009
512 में से	0.007
म.प्र. शासन	-
निजी भूमि	0.436
योग . .	0.436

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1010-भू-अर्जन-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बदरांव गौतमान
(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.441 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
157	0.158
158	0.056
166	0.120
167	0.040
168	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
170	0.08	402	0.004
171	0.008	404	0.080
179	0.072	410	0.012
181	0.120	411	0.142
182	0.036	415	0.080
205	0.012	416	0.024
206	0.120	425	0.040
208	0.120	426	0.040
209	0.008	503	0.016
213	0.048	535	0.080
214	0.048	536	0.072
215	0.028	543	0.184
220	0.120	544	0.092
221	0.024	547	0.114
225	0.016	548	0.0120
231	0.004	549	0.012
232	0.096	550	0.016
233	0.040	552	0.120
269	0.088	553	0.112
272	0.162	554	0.008
274	0.080	557	0.177
275	0.016	558	0.004
280	0.020	559	0.080
281	0.024	560	0.120
284	0.012	582	0.160
285	0.040	587	0.012
286	0.040		योग . . 4.309
288	0.024		शासकीय
365	0.012	223	0.012
366	0.012	361	0.120
377	0.040		योग . . 0.132
378	0.120		महायोग . . 4.441
388	0.202		
390	0.056		
391	0.012		
393	0.032		
395	0.040		
401	0.064		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1012-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—टाटा कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग —3.371 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)	(2)
	निजी भूमि
109	0.140
110	0.088
112	0.072
113	0.008
114	0.024
115	0.024
116	0.024
117	0.120
118	0.202
119	0.028
131	0.117
132	0.275
133	0.060
134	0.044
136	0.202
137	0.008
139	0.081
141	0.028
142	0.536
165	0.020
167	0.012
186	0.136
187	0.036
195	0.012
200	0.012
220	0.548
221	0.056

(1)	(2)
233	0.012
234	0.202
275	0.088
276	0.048
278	0.040
280	0.120
281	0.008

योग . . 3.323

शासकीय भूमि

277	0.012
279	0.036

योग . . 0.048

महायोग . . 3.371

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 21 जून 2011

प्र. क्र.-04-अ-82-2010-11 कले.-241.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना

(ग) नगर/ग्राम—सिलावटी	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.179 हेक्टेयर.	2592/2	0.366	0.251
सर्वे नम्बर	रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
444/1 में से	0.179		
योग . .	<u>0.179</u>		
	2586	0.523	0.031
	2584	0.293	0.188
	2590	0.732	0.502
	2589	0.846	0.397
	2588	0.878	0.021
	2605	1.129	0.167
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना (नहर निर्माण).	2604	0.711	0.397
	2607/1	0.465	0.181
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.	2611/1	0.335	0.060
	2593	1.223	0.188
	2603	1.254	0.178
	2607/2	0.900	0.181
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	2611/2	0.345	0.050
	2607/3	1.264	0.181
	2612	0.314	0.084
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश	2611/3	0.334	0.005
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	2609	0.679	0.470
राजस्व विभाग	2610	0.042	0.042
ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2011	2623	0.042	0.01
	2624	1.223	0.088
	2630	0.899	0.680
	2622	0.846	0.021
	2629/2	1.544	0.31
	2635	1.254	0.763
	2634	0.617	0.031
	2577	0.732	0.209
	2558	0.073	0.042
	2570	1.212	0.596
	2578/1	0.888	0.596
(1) भूमि का वर्णन—	2578/2	0.888	0.596
(क) जिला—ग्वालियर	2576	0.334	0.031
(ख) तहसील—चीनौर	2571/1	1.045	0.183
(ग) नगर/ग्राम—अमरौल	2571/2	0.564	0.183
(घ) क्षेत्रफल —30.453 हेक्टेयर.	2572	1.4	0.554
सर्वे क्र.	कुल रकबा	अर्जित किये	
	(हे. में)	जाने वाला	
		अनुमानित	
		रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	
2585	0.042	0.031	2544/1
2592/1	0.209	0.209	2543

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2542	0.846	0.09	1274/6	0.105	0.014
2545/2	0.04	0.04	1273/4/6	0.019	0.019
2422/1	0.157	0.157	1273/1	0.105	0.105
2418	0.439	0.380	1273/2	0.105	0.105
2417	0.031	0.031	485	0.209	0.021
2422/2	0.167	0.167	500	0.533	0.293
2419	0.052	0.016	499	0.523	0.178
2422(4)(ख)	0.523	0.157	898	0.042	0.042
2422(4)(क)	0.679	0.303	503	0.334	0.073
2415	0.366	0.300	509	0.690	0.272
2414	0.073	0.020	510	0.334	0.063
2413	0.961	0.380	504	0.272	0.042
2410	0.146	0.120	511	1.004	0.658
2409	1.515	0.477	505	0.063	0.063
2408	0.230	0.125	515	0.418	0.09
2407	0.920	0.512	516	0.042	0.031
2395	1.014	0.142	540	0.282	0.063
2396/1	0.689	0.094	519	0.303	0.073
2396/2	0.210	0.094	520	0.303	0.125
2396/3	0.084	0.084	525	0.648	0.073
2397/1	0.523	0.324	528	0.125	0.052
2158	0.658	0.418	530	0.209	0.021
2157	0.470	0.261	531	0.219	0.146
475	0.073	0.031	532	0.199	0.073
476	0.982	0.439	533	0.188	0.042
474	0.084	0.052	534	0.345	0.213
473	0.084	0.042	535	0.428	0.186
477	0.397	0.042	537	0.272	0.157
1274/1	0.028	0.014	543	0.105	0.105
1273/4/1	0.105	0.105	541	0.585	0.105
501	0.240	0.240	544	0.334	0.334
1274/2	0.028	0.014	1253	0.021	0.010
1274/4/2	0.019	0.019	1236	0.418	0.021
1274/3	0.208	0.014	538/1	0.136	0.136
1273/4/3	0.020	0.020	1213	3.093	1.421
1274/4	0.028	0.014	539	0.261	0.188
1273/4/4	0.019	0.019	540	0.282	0.063
1274/5	0.028	0.014	1251	0.732	0.150
1273/4/6	0.019	0.019	1241	0.439	0.188

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1242	0.491	0.439	906	0.125	0.073
1239	0.199	0.052	904	0.199	0.199
1215/3	0.553	0.184	905	0.658	0.05
803/3	0.250	0.014	878	0.387	0.355
1214	0.052	0.052	875	0.188	0.156
804	0.219	0.188	876	0.042	0.042
801	0.627	0.178	867/1	0.084	0.084
805/2	0.418	0.121	867/2	0.084	0.084
817	0.042	0.021	772	0.146	0.125
819	0.125	0.073	773	0.73	0.021
818	0.042	0.042	868	0.084	0.084
820	0.105	0.073	869	0.073	0.073
821	0.052	0.052	870/1	0.031	0.031
822	0.042	0.021	870/2	0.742	0.742
846	0.052	0.052	0.188	0.177	
848	0.042	0.015	0.157	0.157	
843	0.042	0.036	0.146	0.063	
844	0.052	0.028	0.219	0.10	
845	0.052	0.052	0.157	0.081	
847	0.136	0.115	0.404	0.209	
850	0.084	0.075	5.511	0.679	
840	0.010	0.010	1.254	0.389	
841	0.042	0.036	1.641	0.836	
839	0.063	0.048	1.160	0.400	
838	0.073	0.020	0.178	0.01	
895	0.188	0.188			
894	0.105	0.095			
896	0.094	0.086			
897	0.105	0.105			
893	0.115	0.010			
899	0.167	0.106			
907	0.094	0.076			
902	0.239	0.146			
903	0.073	0.073			
908	0.105	0.035			

कुल योग 30.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम अमरौल की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक 4932-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाड़ा			
ख.	तहसील	चौरई			
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम-मोआर प.ह.नं.- 02 ब.नं.-238 रा.नि.मंडल-चौरई			
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ			
कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5	6
1	2/1-2, 3/1	1.833	7	515/9	0.360
2	162/4	0.405	8	515/10	0.115
3	168	0.271	9	485/2	0.027
4	169/1	1.092	10	515/2	1.180
5	486/3	0.369	11	2/3,3/2	1.833
6	524/3, 526/1 527/1, 528/1 529/1, 530/1-2 532/2-3,555/1,556/1	2.078	12	171	1.396
			13	389/2	0.015
			14	390	0.015
			15	485/3	0.027
			16	515/7	1.670

17	486/4	0.365	37	2/6, 3/5	0.456
18	524/4, 526/3, 527/3	1.738	38	5/6	0.121
			39	9/11	0.688
19	2/4, 3/3	0.458	40	387/3	0.005
20	5/2	0.122	41	524/5 ख, 526/4 ख, 528/3 ख, 529/2 ख, 529/3 ख, 530/3-4 ख, 532/4 ख, 555/4 ख, 556/4 ख	0.765
21	9/1-3-4	0.689			
22	387/1	0.006			
23	416/2	0.036			
24	485/4	0.027			
25	515/8	1.191	42	4/1	1.615
26	515/11	0.480	43	5/1	0.364
27	2/5, 3/4	0.457	44	9/6	0.041
28	5/5	0.121	45	4/2	1.036
29	9/10	0.688	46	9/7	0.567
30	387/2	0.005	47	4/3	0.930
31	524/5 क 526/4 क 527/4 क 528/3 क 529/2 क 529/3 क 530/3-4 क 532/4 क 555/4 क 556/4 क	0.764	48	4/6	0.202
			49	4/3	0.025
			50	4/4	0.914
			51	5/3	0.461
			52	9/8	0.324
			53	4/5	0.203
			54	5/4	0.405
			55	9/9	0.364
			56	6	0.401
57	15/2	2.343			
32	2/7, 3/6	0.457	58	65	0.142
33	5/7	0.122	59	66	0.243
34	9/12	0.688	60	162/5-6	1.337
35	387/4	0.005	61	244	0.186
36	524/5 ग, 526/4 ग 527/4 ग, 528/3 ग 529/3 ग, 530/3-4 ग 532/4 ग, 555/4 ग, 556/4 ग	0.765	62	271	0.210
			63	272	0.170
			64	273	0.093
			65	402	0.015
			66	7/1	0.737
			67	7/3	0.045
68	9/5	0.004			

69	8	0.275	107	531	0.049
70	12	0.421	108	544/1	1.068
71	13	0.360	109	545, 546	0.130
72	15/1	5.423	110	550	0.160
73	399, 400, 401/1	0.100	111	538/1	0.089
74	7/2	0.047	112	538/2	0.089
75	9/2	0.087	113	18/1-2	0.625
76	234/4	0.065	114	19/1-2	0.328
77	234/5	0.065	115	22/1	0.196
78	248	0.310	116	163/1	0.328
79	250	0.510	117	191/1-6	0.064
80	259/2	0.081	118	200/1	0.020
81	278	0.148	119	166/1	0.624
82	398	0.053	120	166/3	0.320
83	263	0.117	121	167/1	0.295
84	380	0.032	122	189/1	0.405
85	381/1	0.032	123	190/1	0.322
86	230	0.308	124	192	0.182
87	409/3	0.006	125	18/3	0.953
88	410/3	0.008	126	22/2	0.197
89	411/3	0.008	127	163/2	0.263
90	422/2	0.053	128	163/3	0.045
91	527/2	0.040	129	191/7	0.065
92	15/3	2.356	130	200/2	0.020
93	15/4	2.359	131	165	0.696
94	15/5	2.359	132	166/2	0.227
95	15/6	2.359	133	191/3	0.010
96	15/7	0.647	134	167/2	0.296
97	120, 121, 122	0.543	135	189/2	0.404
98	139/2	0.251	136	190/2	0.322
99	159/1	0.242	137	193/1	0.028
100	268/3	0.012	138	193/2	0.029
101	372	0.016	139	23	0.425
102	374	0.020	140	59	0.495
103	290/2	0.040	141	101/5	0.101
104	17	1.773	142	102/4	0.040
105	20	1.918	143	101/6	0.186
106	21	0.372	144	102/5	0.073

145	103/1	0.162	183	213/3	0.032
146	104/1	0.235	184	214/3	0.028
147	24	0.461	185	214/5	0.486
148	25/2	0.849	186	40/2	0.644
149	25/1	1.307	187	40/4	0.624
150	26/1	1.374	188	41/8	0.202
151	34/1	1.211	189	45/3	0.308
152	35/1	0.163	190	207/2	0.705
153	37/2	1.145	191	214/7	0.162
154	26/2	2.273	192	217/2	0.162
155	27	0.773	193	41/5	0.251
156	28	0.121	194	44/2	0.223
157	29	0.263	195	509/2-3 ख, 510/2	1.526
158	34/2	0.809	196	512/2	3.095
159	35/2	0.120	197	41/3	0.607
160	30	0.206	198	71/1	0.089
161	31	0.202	199	72/1	0.128
162	32	0.081	200	107/4	0.464
163	33	0.849	201	108/4	0.178
164	38/1	1.958	202	203/4	0.121
165	37/1	1.254	203	205/1	0.729
166	68	0.255	204	205/6	0.210
167	77	0.559	205	208/1	0.615
168	79	0.287	206	209/1	0.069
169	417/4	0.046	207	216/3	0.328
170	38/2	0.453	208	164	0.757
171	39/1	1.744	209	191/2	0.049
172	64	0.255	210	199	0.024
173	67	0.259	211	41/1	0.729
174	75	0.097	212	62	0.502
175	76	0.109	213	71/3-5	0.016
176	78	0.118	214	101/2, 102/1	0.048
177	80	0.384	215	101/4, 102/3	0.089
178	39/2	0.510	216	203/2	0.250
179	40/1	0.526	217	205/3	0.026
180	41/6	0.251	218	204/1	0.101
181	44/3	0.040	219	205/5, 209/2	0.026
182	45/1	0.211	220	40/3	0.518

221	41/2	0.251	259	203/3	0.097
222	41/7	0.174	260	205/2	0.567
223	45/2	0.194	261	204/4, 205/12, 209/4	0.026
224	57/1	0.146	262	205/7	0.210
225	63/1	0.049	263	205/8	0.283
226	63/2	0.275	264	206	0.150
227	73/2	0.053	265	208/2	0.849
228	73/3	0.053	266	211	0.040
229	73/4	0.053	267	41/10	0.485
230	93/1	0.145	268	42/2	0.291
231	103/2	0.239	269	60/2	0.110
232	104/2	0.182	270	71/7	0.020
233	103/3	0.209	271	101/8, 102/7	0.048
234	104/4	0.350	272	101/10, 102/9	0.089
235	207/1	0.040	273	105/2, 106/2, 107/1, 108/1	0.346
236	212/1	0.219	274	204/3, 205/10, 209/3	0.101
237	212/2	0.275	275	204/5, 205/13, 209/5	0.101
238	213/1	0.020	276	205/11	0.037
239	214/1	0.020	277	203/6	0.138
240	212/3	0.040	278	216/1	0.142
241	213/2	0.089	279	252/2	0.025
242	214/2	0.121	280	41/11	0.688
243	214/4	0.324	281	71/6	0.061
244	214/6	0.661	282	203/5	0.045
245	215	0.040	283	205/9	0.344
246	217/1, 218	0.385	284	205/14	0.167
247	41/4	0.688	285	216/2	0.141
248	41/9	0.445	286	252/1	0.028
249	42/1	0.291	287	46/1	0.809
250	43	0.328	288	46/2	1.248
251	44/1	0.101	289	46/3	1.248
252	60/1	0.109	290	46/4	1.248
253	61	0.717	291	47/2 क	0.389
254	71/2	0.206	292	47/4 क	0.363
255	72/2	0.049	293	142/1	0.050
256	71/8	0.020	294	49/1	0.405
257	101/7, 102/6	0.045	295	55/1	0.117
258	101/9, 102/8	0.081	296	133/2, 134, 136/2, 138/1	0.789

297	391/1 क	0.008	333	53	0.283
298	47/2 ख	0.382	334	56	0.312
299	47/4 ख	0.366	335	69/1	0.409
300	141	0.036	336	57/2	0.040
301	142/2	0.051	337	73/1	0.049
302	49/2	0.587	338	58	0.376
303	55/2	0.121	339	71/4	0.081
304	132, 133/1, 136/1, 137/1, 138/2	0.467	340	96,97	0.196
305	391/1 ख	0.008	341	100	0.057
306	47/1	0.456	342	101/1	0.364
307	47/3	0.183	343	101/3,102/2	0.202
308	143/1	0.020	344	107/2	0.405
309	391/2	0.004	345	108/2	0.142
310	47/5	0.142	346	202	0.032
311	143/2	0.020	347	203/1	0.080
312	144	0.211	348	204/2	0.279
313	145	0.117	349	205/4	1.352
314	156/3	0.162	350	72/3	0.231
315	499/1	0.142	351	74	0.162
316	500/1	0.020	352	99	0.315
317	501/1	0.214	353	105/1	0.138
318	502/1	0.117	354	106/1	0.067
319	505/1	0.353	355	107/5	0.101
320	47/6	0.474	356	108/5	0.020
321	47/7	0.404	357	262/3	0.037
322	48/1	0.889	358	484/3	1.037
323	140/1	0.202	359	552/2,553/2	0.260
324	50	0.226	360	92/4	0.440
325	51/1	0.186	361	94/1	0.121
326	52	0.134	362	409/4	0.010
327	54	0.081	363	410/4	0.008
328	135	0.291	364	411/4	0.004
329	69/2	0.412	365	93/2	0.048
330	48/2	1.348	366	104/3	0.384
331	140/2	0.405	367	409/2	0.006
332	51/2	0.405	368	410/2	0.004

369	411/2	0.008	406	159/9	0.215
370	107/3	0.405	407	160/1	0.918
371	108/3	0.162	408	127/2	0.150
372	109,110	0.060	409	159/5	0.445
373	123/1	0.971	410	129	0.080
374	123/3	0.889	411	130/3 ख, 131/1 ख	0.035
375	268/2	0.036	412	139/4	0.303
376	375/2	0.012	413	157/2	0.405
377	376/2	0.008	414	159/3	0.093
378	377/2	0.008	415	146/3	0.373
379	378/2	0.008	416	172	0.129
380	376/3	0.008	417	173/4	0.142
381	377/3	0.008	418	176	0.069
382	378/3	0.008	419	184/2	0.563
383	123/2	1.074	420	146/2	0.374
384	274/2	0.028	421	180	0.028
385	253/3	0.101	422	181	0.247
386	288/4,289/4,290/7	1.085	423	185	0.534
387	123/4	1.112	424	186/2	0.433
388	274/1	0.032	425	373/1	0.012
389	288/11	1.214	426	147	1.433
390	124	0.348	427	148	0.393
391	126/2	0.425	428	155	0.458
392	130/3 क	0.254	429	173/3	0.146
393	131/1 क	0.028	430	175	0.065
394	137/2	0.053	431	178	0.231
395	139/1	0.202	432	179	0.061
396	156/2	0.501	433	187	0.653
397	159/6	0.255	434	219	0.093
398	159/7	0.480	435	221	0.360
399	160/2	0.202	436	222	0.178
400	160/3	0.365	437	149	0.267
401	125, 126/1	0.608	438	151	0.211
402	127/1	0.220	439	152	0.198
403	130/2	0.699	440	150	0.235
404	139/3	0.251	441	153	0.227
405	156/1	0.526	442	154	0.210

443	146/4	0.345	479	266	0.324
444	201/3	0.393	480	267	0.557
445	157/1	0.522	481	428/1 ज	0.162
446	158/2	0.526	482	173/1	0.129
447	158/4	0.388	483	173/2	0.137
448	158/8	0.372	484	174	0.660
449	157/3	0.510	485	177	0.097
450	157/4	0.517	486	182	0.255
451	158/5	0.397	487	183	0.020
452	158/7	0.376	488	184/1	0.219
453	157/5	0.494	489	186/1	0.222
454	158/1	0.518	490	201/1	0.493
455	158/3	0.388	491	228	0.150
456	158/6	0.376	492	194	1.765
457	159/2	0.195	493	210	0.267
458	292/2	0.152	494	195	0.028
459	159/4	0.094	495	196	0.020
460	159/8	0.175	496	197	0.077
461	160/4	0.081	497	198	0.045
462	162/1	1.562	498	201/2	0.392
463	288/5, 289/5, 290/8	0.550	499	223	0.364
464	162/2	0.729	500	224	0.049
465	242/1 छ	0.121	501	146/1	0.345
466	428/1 ग.	0.178	502	225	0.085
467	245	0.194	503	226	0.441
468	247/1-3	0.930	504	373/2	0.016
469	249/7	0.073	505	231	0.983
470	255/1	1.092	506	234/1	0.065
471	162/3	2.144	507	232/1	0.546
472	242/1 च	0.178	508	232/2	0.303
473	428/1 ख	0.032	509	234/2	0.299
474	265/2	0.243	510	236/1	0.081
475	251/2	0.016	511	237/1 क	0.299
476	254/2	0.809	512	236/2	0.506
477	255/2	0.474	513	236/3	0.344
478	256/2	0.364	514	237/1 ख	0.081

515	242/1 ख	0.405	552	392/1	0.010
516	479/2	0.048	553	265/3	0.243
517	481/1	0.032	554	416/1	0.959
518	235	1.214	555	416/4	0.053
519	431	1.157	556	258/1, 259/1	1.453
520	238	0.073	557	268/1	0.697
521	240	0.902	558	269/2	0.121
522	241	0.028	559	270	0.150
523	242/1 ग	0.194	560	276	0.069
524	243	0.150	561	479/1	0.053
525	258/2, 259/3	1.452	562	484/2	1.038
526	261	0.223	563	552/1, 553/1	0.135
527	262/2	0.162	564	277	0.070
528	242/1 घ	0.454	565	288/12	0.281
529	428/1 घ	0.008	566	288/2, 289/2, 290/5	0.145
530	247/2	0.729	567	288/7, 289/7, 290/10	1.327
531	256/1	0.514	568	288/8, 289/8, 290/11	0.755
532	251/1 ख	0.162	569	375/1	0.012
533	253/1 ग	0.020	570	381/2	0.004
534	253/2	0.089	571	388	0.015
535	254/1	1.315	572	419/3	0.223
536	376/1	0.008	573	389/1	0.015
537	377/1	0.004	574	291	0.214
538	378/1	0.004	575	393	0.030
539	392/2	0.020	576	396/1, 395/1, 397/1	0.024
540	428/1	0.101	577	515/1	1.720
541	249/2-4	0.465	578	516/1	0.424
542	251/3	0.089	579	517/1	0.547
543	254/3	1.052	580	524/2, 525/3-4	2.013
544	256/3	1.902	581	396/2, 395/2, 397/2	0.012
545	394	0.040	582	396/3, 395/3, 397/3	0.012
546	414	0.053	583	403	0.040
547	253/1 ख	0.057	584	509/2-3 क, 510/1	1.760
548	434/3 ग	0.040	585	512/1	3.178
549	257	5.824	586	420/1	0.315
550	262/1	0.291	587	421/1	0.040
551	265/1	0.251	588	422/1 ग	0.053

589	422/3	0.053	623	442/2	1.376
590	423/2 ख	0.125	624	420/2, 421/2	1.099
591	423/1 ख, 434/3 ख	0.316	625	423/1 क	0.125
592	434/4 ख	0.849	626	434/3 क	0.494
593	488/1	0.331	627	441/1	0.749
594	405/1, 406/1, 407/1	0.016	628	422/1 क	1.099
595	419/1	0.308	629	423/2 क	0.129
596	496/2	0.648	630	426/2	0.053
597	502/5, 505/5	0.405	631	426/3	0.048
598	490/1, 491/1, 497/1	1.035	632	434/4 क	0.405
599	405/2, 406/2, 407/2,	0.032	633	434/1	0.138
600	496/3	0.817	634	444/1	0.713
601	496/1	0.818	635	443/2	0.040
602	405/3, 406/3, 407/3	0.016	636	444/2	0.583
603	405/4, 406/4, 407/4	0.016	637	422/1 ख	0.061
604	490/2, 491/2, 497/2	0.145	638	424/1-2, 425/1-2	1.252
605	490/3, 491/3, 497/3	1.034	639	445/1	0.344
606	408	0.035	640	435/3, 436/3, 437/3, 438/3, 439/3, 440/3	1.619
607	409/1	0.006	641	428/1 छ	0.121
608	410/1	0.004	642	428/2	0.182
609	411/1	0.004	643	428/3	0.182
610	412/1-2	0.055	644	429	1.586
611	415	0.030	645	430	1.258
612	416/3	0.032	646	433/1	0.425
613	417/1	0.033	647	433/2	0.441
614	417/3	0.045	648	435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440/1	0.833
615	417/5	0.058	649	441/2	0.753
616	418/4	0.081	650	435/2, 436/2, 437/2, 438/2, 439/2, 440/2	2.468
617	491/2	0.344	652	523/2	0.325
618	442/4	1.376	653	442/1	1.736
619	485/3	0.040	654	444/3	0.738
620	485/4	0.041	655	442/3	1.396
621	418/2	0.081	656	445/2 ख	0.194
622	419/4	0.344	657	445/2 क	0.194

658	482/1 क	0.134	695	515/4 ख, 516/3 ख, 517/3 ख,	0.607
659	480/1	0.075	696	524/6 ख, 525/5 ख,	0.203
660	480/2	0.075	697	499/2, 500/2, 501/2	0.866
661	481/2	0.032	698	499/3, 500/3, 501/3	0.866
662	481/4	0.032	699	502/2, 505/2	1.033
663	495/1	0.198	700	502/3, 505/3	0.122
664	507/1	0.405	701	502/4, 505/4	0.507
665	508/2	0.841	702	523/3	0.531
666	514	2.379	703	504	1.748
667	518/1	0.243	704	506	0.138
668	520/1	0.372	705	513/3	2.959
669	520/2	0.121	706	519/2	1.266
670	521/1	0.385	707	561/1	0.647
671	559, 560	1.062	708	561/4	0.945
672	495/2	0.203	709	509/2-3 ग, 510/3	0.405
673	507/2	0.930	710	512/3	0.405
674	508/1	0.918	711	513/1	1.234
675	508/3	0.123	712	513/2	1.214
676	518/2	2.788	713	519/1	1.356
677	522	0.053	714	519/3	0.405
678	520/3	0.373	715	561/2	0.647
679	521/2	0.404	716	561/3	0.140
680	523/1	0.607	717	515/3, 516/2, 517/2	0.630
681	484/1	1.037	718	524/1, 525/1	0.451
682	534/1-2	0.271	719	515/4 क, 516/3 क, 517/3 क,	0.388
683	533/1	0.688	720	524/6 क, 525/5 क,	0.299
684	481/3	0.032	721	515/5, 516/4, 517/4	0.994
685	483	0.611	722	524/7, 525/6	0.502
686	486/1	0.101	723	515/6, 516/5, 517/5	0.364
687	492	1.051	724	533/2	0.101
688	493	0.040	725	536/1, 537/1	0.490
689	494	0.283	726	544/2	0.057
690	486/2	1.019	727	547, 548	0.090
691	486/5	0.365	728	549/1	0.091
692	488/2	0.749	729	564/1	0.070
693	488/3	0.466	730	549/2	0.090
694	490/4, 491/4	0.890	731	549/3	0.090

732	551	0.061	737	281/2 (आबादी)	मकान कच्चे 10
733	562/1	0.140	738	448 (आबादी)	मकान कच्चे 14
734	562/2	0.030	739	418/3 (घास)	मकान कच्चे 01
735	204/6, 205/16, 209/6	0.101	योग :-	311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ	
736	288/1	0.405			

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 4933-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है। कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा - 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इस संबन्ध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा - 17 (1) एवं 17 (4) के उपबन्ध लागू होते हैं।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला		छिन्दवाड़ा		
ख.	तहसील		चौरई		
ग.	नगर/ग्राम		ग्राम-बारहबरयारी, प.ह.नं.-08 ब.नं.-203 रा.नि. मं. - चौरई		
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल		532.200 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ		
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)	क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1	48/1	0.538	7	21/2	0.490
2	52/1	0.215	8	335/2	0.121
3	382	0.065	9	547	0.100
4	21/3	0.042		548/1	0.153
5	407	0.040	10	566/1	0.307
6	409	0.032	11	567/1	0.587

12	568/1	0.567	35	451/5	0.160
13	570/1	0.473	36	22/3	0.073
14	584/1	0.049		46/7	1.071
15	585/1	0.218		47/1	0.243
	586/1		37	46/2	1.497
16	21/1	0.807	38	46/5	0.930
17	138	0.348	39	48/2	0.664
18	180	0.636	40	76/2	1.567
19	181/3	0.263		77/2	
20	183	1.522	41	437	0.125
21	403/1	0.024	42	451/1	0.486
	404/1	0.008	43	451/3	0.526
	403/2	0.020	44	451/4	1.003
22	23/7	0.235	45	452/2	0.081
23	28/2	0.600	46	22/4	0.837
24	445/1	0.040		44/2	
	446/1			46/2 क	
25	17/3	0.365	47	47/3	0.637
	18/2			42/2	
26	381/1	0.054		80/2	
27	381/2	0.027	48	46/8	1.011
28	22/2	0.843	49	76/3	0.849
	44/1			77/3	
	46/6		50	80/3	0.890
	47/2		51	90/1	0.004
29	46/3	0.809	52	222/2	0.303
30	50	0.146	53	413/2	0.008
31	52/2	0.081	54	440	0.036
32	76/1	0.664		441	0.125
33	413/1	0.008	55	451/6	0.247
34	451/2	0.283			

56	613	0.073	73	23/6	0.206
	614	0.028	74	36	
	615	0.190		37/1	0.326
				37/2	
	625	0.263	75	432	0.061
57	452/1	0.077	76	443/1	0.040
58	22/5	0.618	77	443/2	0.040
	44/3		78	445/3-4	0.072
	46/10			446/3-4	
	47/4		79	26/2	0.941
			80	65/1 क	0.304
		65/1 ख	0.304		
		65/2	0.263		
		65/3	0.263		
		64/4 क	0.178		
		65/4 ख	0.138		
		65/4 ग	0.121		
		65/4 घ	0.134		
59	46/9	0.365	81	184/4	0.785
60	23/1	0.118	82	42/1	1.440
61	444/1	0.069		80/1	
62	23/2	0.587		81	
63	23/3	0.361		83	
64	26/1	1.052		46/4	
65	23/4	0.787	84	46/1	1.983
	24/1		85	321/9	1.809
66	28/1	0.060	86	335/1	0.040
	29		87	411	0.065
67	444/2	0.034	88	48/3	0.668
68	445/2	0.036	89	90/3	0.032
	446/2		90	608	0.093
69	23/5	0.162	91	617	0.162
				618	1.672
			92	612/1	0.092
70	24/2	0.625	93	76/4	0.668
				77/4	
	25		94	187/2	0.645
71	28/3	0.525	95	219/1	1.898
				220/1	
	34	0.170	96	222/3	0.303
72	444/3	0.035	97	413/3	0.008

98	448 449 450	0.101 0.016 0.006	121	135/4	0.844
99	451/7	0.324	122	135/3	0.844
100	451/8	0.155	123	135/5	0.844
101	51/3	1.615	124	135/1-2	0.843
102	51/5	0.300	125	59 60/1 61 62/1 63/1	2.860
103	177 178/2	1.120	126	60/2 62/2 63/2	0.270
104	271/2	0.421	127	60/3 62/3 63/3	0.630
105	287/5-6	1.165	128	60/4 63/4	0.260
106	292/2	0.169	129	66/1	0.251
107	321/8	0.551	130	67/1	1.268
108	365	0.049	131	70/5	0.405
109	454/7	0.231	132	70/6	0.243
110	454/6	0.466	133	69/1	0.129
111	456/4	0.632	134	70/2	0.478
112	691/3	0.195	135	69/2 70/3 75/2	0.070 2.854 0.243
113	707/3	1.028	136	294/3	1.981
114	56/4	0.043	137	301/1	0.763
115	140/1 182/1	0.663	138	391/2 396/2	0.008 0.045
116	140/2 182/2	1.150	139	69/3 70/9 75/3	0.427
117	410	0.024	140	294/6	0.447
118	57/1	0.997	141	301/2	0.127
119	66/2	0.121	142	70/4	1.416
120	67/2	0.634	143	294/4 295/1	0.769 0.275

144	391/4 396/4	0.028	163	416/2	0.028
145	70/7 75/1	0.405 0.113	164	187/1	0.652
146	70/8	0.028	165	287/1	0.729
147	396/1	0.028	166	324/1 332/1 333/1	0.987 1.133 2.626
148	71/2 71/3	0.040 0.040	167	399/1	0.077
149	398/1 398/2	0.028 0.024	168	414	0.045
150	429/1 429/2	0.016 0.020	169	78	0.219
151	72/1	0.085	170	285 323	2.258
152	136/1	0.366	171	286	0.874
153	171/2 172/2	0.081 0.243	172	321/6	1.165
154	72/3	0.085	173	322/2	0.142
155	136/6	0.367	174	322/3	1.056
156	417/1	0.012	175	220/2	0.607
157	418	0.008	176	96 97/1 98 100	2.840
158	72/4	0.085	177	422/1	0.056
159	136/5	0.220	178	97/2 99 125/3	2.490
160	136/7	0.366	179	422/2	0.057
161	73	0.486	180	89	0.384
162	137/2	2.306	181	90/2	0.375

182	513 514	0.109 0.898	202	123	2.784
183	515/1 523 524	1.082	203	124/7	0.567
184	219/2 220/3	0.283	204	125/2	0.053
185	222/4	0.101	205	420/3	0.036
186	612/3 619/1 620/1 622/1 623/1 624/1	0.673	206	104/1	0.324
187	93/1	0.060	207	124/3	0.219
188	105 106	0.700 0.445	208	124/6	0.971
189	111	0.429	209	124/10	1.352
190	112	0.077	210	420/1	0.040
191	113/1 114/1 509/1	0.563	211	107 108 109	0.069
192	117/1	0.836	212	181/2	0.324
193	389	0.032	213	200/1	0.615
194	502/1 504/1 506/1 507/1	0.636	214	282	0.121
195	35	0.100	215	322/1	1.457
196	127/1	1.011	216	457	0.024
197	101 102	0.927	217	113/2 114/2 509/2	0.563
198	124/1	0.283	218	117/2	0.836
199	124/9	0.376	219	372	0.053
200	103	0.498	220	502/2 504/2 506/2 507/2	0.636
201	104/2	0.304	221	113/3 114/3 509/3	0.563

222	117/3	0.836	239	503/1	0.324
223	502/3 504/3 506/3 507/3	0.636	240	503/2	0.360
224	113/4 114/4 509/4	0.563	241	124/4	1.335
225	117/4	0.836	242	126/2	2.428
226	502/4 504/4 506/4 507/4	1.477	243	127/2	2.395
227	113/5 114/5 509	0.559	244	129/1	1.254
228	117/5	0.837	245	129/2	1.153
229	502/5 504/5 506/5 507/5	0.632	246	176/1	0.725
230	115	2.286	247	281/1	0.152
231	383	0.081	248	184/1	0.232
231	491	3.153	249	184/7	0.233
233	534	0.138	250	199/1	0.163
234	120/1 120/2 121 122	0.344 0.356 0.441 0.575	251	268/1 269/1 271/1	0.260 0.085 0.101
235	384/1 384/2	0.052 0.049	252	283/2	0.229
236	498/3	1.133	253	288/1	0.383
			254	292/1	0.733
237	500	0.789	255	439/1	0.056
			256	456/5	0.162
238	501	0.328	257	463/2	0.202
			258	691/1	0.243

259	707/1	0.337	276	192/4	0.567
260	129/3	1.133	277	192/5 202/3	1.335 0.121
261	130/1 132	2.477 0.162	278	198 200/2 201/1	0.117 0.081 0.170
262	184/3	0.793	279	400/3	0.045
263	130/2	1.619	280	158 159/1	0.610
264	136/2	1.461	281	161 162 163/1 163/2 164 165/1 166/1 167/1 169/2 170/2	0.150 0.202 0.178 0.279 1.384 0.162 0.049 0.162 0.041 0.178
265	136/3	0.304	282	165/2 166/2 167/2	0.089 0.190 0.142
266	139	0.247	283	192/2	0.810
267	419/1	0.059	284	176/2 176/6	2.148
268	419/2	0.058	285	195 197	0.117 0.603
269	336	0.097	286	176/3	1.140
270	393/1	0.012	287	176/7	0.486
271	192/1	0.890	288	176/8	0.315
272	192/3 202/2 203 204 205 206	0.364 0.081 0.684 0.202 0.324 0.089	289	196/2	0.242
273	400/1	0.024	290	176/4	0.971
274	159/2	0.247	291	176/5	1.789
275	168 169/1 170/1	0.821 0.162 0.259	292	184/5	1.052

293	196/1	0.216	316	288/2	0.383
294	268/3 269/3 270 271/3 272	0.073 0.146 0.543 0.644 0.539	317	292/6	0.732
295	276 277 278 279 280	0.053 0.239 0.142 0.032 0.049	318	439/2	0.057
296	281/5	0.457	319	691/6	0.243
297	284/2	0.364	320	707/4	0.337
298	291	0.741	321	176/10	0.816
299	292/3 293	0.502 0.798	322	184/10	0.233
300	296/3	0.040	323	184/11	0.232
301	321/5	0.470	324	199/3	0.164
302	377	0.057	325	281/3	0.153
303	456/1	0.356	326	268/5 269/5 271/5	0.260 0.085 0.101
304	456/2	0.271	327	283/5	0.230
305	463/3	0.494	328	283/3	0.121
306	691/2	0.607	329	284/1	0.482
307	707/2	0.809	330	288/3	0.383
308	176/9	0.816	331	292/7	0.732
309	184/8	0.233	332	439/3	0.057
310	184/9	0.233	333	456/6	0.162
311	199/2	0.163	334	691/7	0.243
312	268/4 269/4 271/4	0.261 0.085 0.102	335	707/5	0.337
313	281/2	0.153	336	184/2	1.173
314	283/4	0.229	337	391/1	0.028
315	287/2	0.729	338	184/6	1.011

339	187/3	0.658	364	212/3	0.162
340	192/6 194 202/1	0.634 0.150 0.328	365	485/1	0.894
341	192/7	0.809	366	213	0.214
342	51/1	1.615	367	405/2	0.061
343	51/4	0.545	368	485/2	0.894
344	71/1	0.324	369	70/1	0.809
345	131	3.400	370	294/2	1.538
346	415	0.040	371	299	0.190
347	72/2	0.085	372	391/3 396/3	0.028
348	136/4	0.441	373	379	0.045
349	417/2	0.032	374	393/2	0.324
350	126/1	2.683	375	218	0.032
351	471/3 473/3	0.101 0.065	376	412	0.065
352	137/1	0.291	377	659/1 660 661 662	0.328 0.235 0.454 0.271
353	137/3	1.335	378	659/2	1.579
354	416/1	0.028	379	663/1	0.829
355	208/3	0.829	380	667/1	2.144
356	208/2 211/2 211/3 211/4 212/2	0.073 0.089 0.178 0.809 0.295	381	665 666	1.400 2.391
357	211/1	0.089	382	767/1	0.733
358	210/3-4	0.769	383	768	0.036
359	405/1	0.065	384	770	0.607
360	210/1	0.729	385	221 222/1	0.947 0.914
361	210/2	0.721	386	219/3 220/4	0.283
362	210/5 210/6	0.769	387	222/5	0.101
363	212/1	0.170	388	612/4 619/2 620/2 622/2 623/2 624/2	0.673

389	219/4 220/5	0.283	409	230	0.328
390	222/6	0.102	410	231/2	0.121
391	619/3 620/3 622/3 623/3 624/3	0.673	411	232	0.117
392	226 227/2	0.085 1.938	412	237/1 239/1	0.142 0.081
393	235	0.320	413	239/3 240/3	1.578 0.146
394	227/1	1.412	414	239/5	0.324
395	227/3	0.801	415	245/3 246 247 248 249/3	0.749 0.097 0.210 0.243 0.032
396	233/1	0.125	416	327 328 329	1.443 0.713 1.348
397	234	0.372	417	338	0.105
398	227/4	1.028	418	231/3	0.036
399	227/5	0.161	419	236	1.094
400	227/6	0.053	420	237/2 238 239/2	0.142 0.085 1.538
401	227/9	0.237	421	240/1 241/1	0.490 0.486
402	227/7	0.053	422	245/2	0.551
403	227/8	0.190	423	341	0.129
404	227/10	0.237	424	390	0.032
405	228/1 229/2	0.445 0.024	425	654/1-2	0.802
406	228/2 229/3	0.384 0.235	426	675 676 677 678 679 680	0.036 0.101 0.170 0.024 0.441 0.040
407	233/2	0.129	427	681/2	1.869
408	229/1	0.255	428	239/4	0.340

429	242 243 244 245/1	2.671	453	438/4	0.061
430	240/2 241/2	0.271	454	255/1 256/3	1.108
431	339 340	0.251	455	255/3	0.875
432	249/2	0.069	456	260 261/1 262/1	1.348 0.619 0.214
433	250	0.506	457	438/3	0.182
434	255/6 256/6	0.522	458	255/4 256/1	0.384 0.534
435	257/7 257/8	0.683 0.914	459	481/2	1.266
436	258/3	0.380	460	256/4	1.348
437	274	0.729	461	257/1	0.809
438	326/3 330/3 331/3	0.729	462	257/5	0.809
439	438/5	0.057	463	261/2 262/2	1.092 0.849
440	254/1	0.486	464	265 266	0.664 1.991
441	255/2 256/2	0.526	465	267	1.068
442	257/3	0.674	466	438/1	0.170
443	257/4	0.918	467	256/7	1.352
444	258/1	0.380	468	257/2	2.967
445	326/1 330/1 331/1	0.720	469	261/3	1.457
446	438/2	0.061	470	262/3	0.405
447	254/2	0.486	471	268/2	0.182
448	255/5 256/5	0.526	472	289/2 290/2	1.028
449	257/6	0.676	473	296/4	0.121
450	258/2	0.385	474	463/4	0.445
451	325/4	0.049	475	691/5	0.198
452	326/2 330/2 331/2	1.416	476	269/2	0.332

477	292/4	0.454	500	467/2	0.405
478	429/3 430	0.024 0.049			
479	463/1	0.445	501	472/2	0.101
480	463/5	0.409	502	473/2	0.069
481	691/4	0.194	503	320/2	1.388
482	273	2.614	504	355	0.049
483	399/2	0.077	505	465/1	0.841
484	281/4	0.457	506	465/2 467/1	0.405
485	287/3	0.259	507	469/1	0.213
	287/4	0.283		427/1	0.100
486	321/3-4	0.348	508	739	0.190
487	289/1 290/1	1.027	509	762	0.320
				763	0.344
				764	0.364
488	292/5	0.454	510	766/2	0.008
489	294/1	1.376	511	321/1	2.630
				321/2	0.501
490	294/5	0.849	512	321/7	0.607
	295/2	0.081			
491	297	0.012	513	456/3	0.324
	298	0.166			
492	303	0.368	514	318	1.068
	304	0.364			
	305	0.085			
	306	0.413			
	307	3.116			
	311	1.882			
	312	0.093			
	313	0.093			
	314	0.085			
	315	0.077			
	316	1.923			
317	1.821				
493	401	0.081	515	321/10-11	0.696
494	309/2	1.825	516	321/12	1.781
	310/3			360/2	0.040
495	310/2	3.723	517	321/13	0.004
496	319	1.619	518	321/14	0.004
497	354/2	0.049	519	337	0.061
498	759/2	0.835	520	689	1.073
	760/2			690	
499	320/1	1.392	521	342/2 343/2	0.125

522	571/1 572/2	0.486	551	480/2 492/2 490/3	2.440
523	573/2	0.680	552	497/1	1.000
524	574/2	0.210	553	705/2	0.555
525	561	0.166	554	706/2	0.097
526	342/3 343/2	0.129	555	709/2	0.610
527	558	0.061	556	345	0.206
528	571/2 572/3	0.490	557	346	0.129
529	573/3	0.680	558	653/2 685/2	1.000 0.081
530	574/3	0.206	559	347	0.142
531	581	0.191	560	577	1.108
532	562	0.065	561	610	0.376
533	324/4 343/4	0.121	562	658	0.142
534	559/2 560/2	0.546	563	671/1 673/1	2.442
535	563/2	0.121	564	681/1	1.259
536	572/4	0.303	565	348/1	0.085
537	573/4	0.681	566	632/2	0.769
538	574/4	0.202	567	632/5	1.133
539	344/1	0.086	568	634/1 635/1	0.259 0.065
540	476/3	0.041	569	642/1	0.567
541	480/1 490/2 492/1	2.440	570	785 786/1 792/1 793	0.206 0.809 0.299 0.384
542	694/3	0.147	571	789/2	0.648
543	497/2	1.035	572	348/2	0.040
544	703/1 704/1	0.136	573	632/3 636	0.647 0.854
545	705/1	0.718	574	634/2 635/2	0.215 0.081
546	706/1	0.101	575	642/2	0.518
547	709/1	0.613	576	782 783/1	0.073 0.409
548	344/2	0.100	577	794	0.308
549	476/4	0.040	578	348/3	0.045
550	477	0.077	579	632/4	0.688

580	634/3	0.295	608	683 684	0.146 1.044
581	642/3	0.518	609	746	0.146
582	783/2	0.485	610	750/2	0.631
583	788/2	0.567	611	361	0.024
584	349/1	0.055	612	358/1	0.040
585	759/1 760/1	0.835	613	358/2	0.049
586	349/2	0.020	614	363	0.065
587	349/3	0.054	615	364	0.065
588	759/3 760/3	0.835	616	366	0.028
589	350	0.072	617	367	0.028
590	576	0.255	618	515/2 522	0.718
591	591 592	0.356 1.207	619	368	0.020
592	600 602	0.190 0.085	620	459/2 460 462	0.709 0.587 0.619
593	351	0.049	621	369	0.028
594	469/2 473/3	0.034 0.066	622	512	0.400
595	352	0.073	623	515/3 516 517 518 519 520 521	1.910
596	471/2	0.202	624	370/1	0.010
597	353	0.065	625	459/1	0.275
598	354/1	0.049	626	370/2	0.022
599	356	0.040	627	371	0.036
600	473/1	0.137	628	668	1.651
601	357	0.045	629	373	0.045
602	359	0.077	630	375	0.065
603	461	0.951	631	376	0.049
604	464 468	0.449 0.247	632	378/1	0.053
605	498/1	1.445	633	378/2	0.049
606	498/2	1.518	634	385 386	0.008 0.020
607	499/1	0.662	635	387	0.016

636	388 392	0.020 0.020	662	737	0.510
637	394	0.020	663	748	0.579
638	552/1 553 554	0.368 0.445 0.376	664	424/3	0.009
639	583/1	0.413	665	686	0.283
640	395	0.032	666	721/6 724/2	0.475
641	397/1	0.032	667	425/1	0.020
642	397/2	0.040	668	687/1	1.258
643	400/2	0.065	669	716/1	1.159
644	400/4	0.024	670	718/1	0.063
645	404/2	0.016	671	722/1	0.083
646	406	0.012	672	425/2	0.020
647	408	0.045	673	687/2	1.259
648	643 644	0.938	674	716/2	1.159
649	663/2 664 667/2	0.866 0.890 1.672	675	718/2	0.062
650	767/2 769	0.433	676	722/2	0.083
651	423	0.093	677	426	0.032
652	424/1	0.018	678	427/1-2	0.053
653	732/1	0.156	679	427/3	0.024
654	733/1	0.025	680	486/3	0.729
655	720 721/1	1.638	681	486/5	0.607
656	721/5 724/1	0.483	682	431	0.049
657	424/2	0.009	683	484	2.420
658	721/3	0.545	684	434 435	0.113 0.049
659	726 727 729 730	0.162 0.146 0.024 0.615	685	433	0.081
660	732/2 733/2	0.156 0.024	686	478/1	0.089
661	721/7 724/3	0.506	687	710 714	0.729 0.809

688	711 713	0.299 0.474	716	479/3 494/3	0.821
689	436	0.049	177	479/1 494/1	2.705
690	57/2	0.985	718	481/1 482 483	0.947 0.125 0.194
691	442	0.117	719	655 656 671/3 672/1 672/2 673/2	0.652 0.142 0.647 0.340 0.340 0.344
692	453/1	1.003	720	486/1	0.906
693	453/2	0.225	721	486/6	0.688
694	453/4	0.225	722	486/2	2.347
695	454/1	0.445	723	486/4-7	1.335
696	533/1	0.095	724	478/1	1.230
697	453/3	0.452	725	487/2	1.234
698	454/8	0.445	726	488	0.854
699	454/4	0.234	727	489/1	0.688
700	533/2	0.255	728	489/2	0.890
701	454/5	0.809	729	499/2	0.661
702	454/2 454/3	0.202 0.713	730	532/2	0.202
703	459/3	0.566	731	546/3	0.275
704	470	0.636	732	685/3	0.405
705	471/1	0.498	733	752 753	0.097 0.445
706	682	0.429	734	548/2	0.312
707	474/1	1.704	735	564	0.291
708	476/2	0.202	736	566/2 567/2	0.312 0.590
709	474/2 475	0.458 0.178	737	568/2	0.566
710	478/2	0.028	738	570/2	0.474
711	479/2 494/2	1.892	739	584/2	0.045
712	495 496	2.234	740	585/2 586/2	0.217
713	735	0.279	741	587	0.065
714	736	0.910	742	549 550 551 552/3	0.486 0.328 0.841 0.368
715	478/3	0.057	743	552/2	1.000

744	565	0.340	760	633	0.081
745	589	0.486	761	632/1 632/6 632/7 632/8	0.688 0.182 0.607 0.053
746	590	0.255	762	786/2 792/2	0.567 0.243
747	569	0.938	763	787/1 788/1 789/1	0.202 0.235 0.053
748	575/2	0.405	764	789/3	0.688
749	575/3 575/4	0.405 0.515	765	627/2	0.069
750	583/2	0.473	766	628/4 628/5 628/6	0.364 0.405 0.854
751	593/1 594 595 596 597 598	1.250 0.049 0.061 1.497 0.231 1.096	767	630/2	0.150
752	603 604 605 607	0.053 0.360 0.045 0.040	768	631	0.129
753	593/2	0.809	769	632/9 632/10 632/11	0.688 0.809 0.910
754	609 611	0.190 0.413	770	786/3 792/3	0.563 0.239
755	670	1.032	771	787/2 788/3 789/4	0.016 0.121 0.352
756	612/2	1.466	772	789/5	0.688
757	627/1	0.069	773	374	0.081
758	628/1 628/2 628/3	0.364 0.121 0.854	774	638 639 640 774	2.549 1.015 1.056 0.247
759	630/1	0.154			

775	775 779 780 781 795	1.388 0.223 5.062 0.275 0.125	799	190/2	0.020
776	777	0.372	800	188/2	0.594
777	797 798	0.210 1.931	801	188/4	0.250
778	671/2	1.801	802	190/3	0.021
779	692	1.295	803	324/2 332/2 333/2	0.101
780	703/1 704/1	0.075	804	208/1	0.863
781	717	0.214	805	104/3	0.085
782	721/2	0.607	806	124/2	0.202
783	721/4	0.809	807	124/5	0.105
784	734	0.069	808	124/8	0.935
785	741	0.328	809	420/2	0.040
786	742 743	0.101 0.680	810	342/1 343/1	0.121
787	744 750/1	0.413 0.583	811	559/1 560/1	0.547
788	749	0.202	812	563/1	0.117
789	750/3	1.432	813	572/1	0.303
790	750/4	0.716	814	573/1	0.680
791	754 756 757	0.073 0.599 0.190	815	574/1	0.202
792	765	0.721	816	309/1 310/1	1.825
793	51/2	1.033	817	309/3 310/4	1.826
794	188/1	0.594	818	380	0.045
795	188/5	0.349	819	189/1	कच्चे मकान-05 ग्राम पंचायत भवन पक्का-01 शाला भवन पक्के-03 चबूतरा पक्का-01
796	190/1	0.020	820	217	कच्चे मकान-05 कुआ पक्का-01
797	188/3	0.594	821	334	कच्चे मकान-07 शाला भवन कच्चा-01
798	188/6	0.440	822	362	कच्चे मकान-66
823	402 ✓	कच्चे मकान-24 ✓	826	458 ✓	कच्चे मकान-15
824	428 ✓	कच्चे मकान-34 ✓	योग :- 532.200 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ		
825	447	कच्चे मकान-03 ✓			

- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन ।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- 4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है।
- 5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं.-1 चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा, में भी देखा जा सकता है।

क्रमांक 4934-प्रस्तु.- भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिंदवाड़ा
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम-सिहोरा, प.ह.नं.-29 ब.नं.-576 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	399.778 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)	क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1	267	0.166	10	2/2	0.331
2	275/1	0.202	11	4/2	0.911
3	280	0.551	12	198	0.785
4	306/2	0.028	13	199/2	0.304
5	306/4	0.122	14	199/1	0.405
6	806/4	0.225	15	200	0.709
7	827	0.773	16	260	0.801
8	829	0.737	17	262/2	1.618
9	755/2	0.405	18	769/2	1.497

19	780/1	0.749	55	847/2	0.016
20	780/2	0.684	56	849/2	0.190
21	216	1.627	57	850/2	0.388
22	858/2	0.234	58	850/4	0.080
23	862/3	0.809	59	874/3	0.687
24	854/1	1.316	60	817/1	0.073
25	830/4	0.405	61	818/1	1.246
26	830/5	0.405	62	867/1	0.219
27	831/2	0.405	63	710/1	0.616
28	779/2	0.558	64	247	0.300
29	873/3	0.728	65	834	0.938
30	758/2	0.709	66	835	0.324
31	758/4	2.023	67	836	0.539
32	758/6	0.291	68	837	3.755
33	858/2	0.607	69	839	2.258
34	853/2	1.299	70	840	0.914
35	843	2.416	71	271	0.765
36	854/3	0.992	72	300	1.425
37	863/1	0.786	73	825	1.789
38	830/1	0.851	74	777/2	1.011
39	292/2	1.797	75	877/2	0.997
40	52/2	1.619	76	854/4	0.995
41	207/2	0.809	77	309	0.465
42	208/2	0.373	78	310/1	0.283
43	212	0.040	79	310/2	0.360
44	2/3	0.331	80	266/2	0.061
45	4/3	0.911	81	307/2	0.575
46	217	3.468	82	314,315	0.105
47	269/1	0.591	83	26/2	1.134
48	270/2	0.522	84	27	0.186
49	304/1	2.186	85	28/1	0.506
50	305/1	0.891	86	842/2	0.627
51	304/2	0.704	87	855/3	1.821
52	775	1.052	88	204/1	0.534
53	753/4	0.744	89	205/1	0.473
54	264/1	1.619	90	206/1	0.243

91	270/3	0.283	127	259/1	0.363
92	304/3	0.704	128	259/2	0.405
93	195/2,196/2	0.996	129	259/3	0.405
94	201/2	0.874	130	262/1	2.833
95	202/2	0.191	131	287	0.304
96	203/2	0.692	132	290/2	0.105
97	741	0.563	133	296	0.388
98	785	2.221	134	298/2	0.450
99	788	1.855	135	298/3	0.591
100	779/4	0.364	136	282/1	0.081
101	257	0.729	137	283/1	0.194
102	774	0.534	138	285/2	0.141
103	876	1.611	139	819/4	0.048
104	293	1.339	140	820/2	0.141
105	831/1	2.229	141	822/4	0.036
106	245	0.275	142	793/1	0.405
107	246/1	0.200	143	796/1	1.489
108	758/3	1.374	144	48/3	0.640
109	819/5	0.202	145	50/2	1.405
110	819/6	0.202	146	221	2.201
111	819/7	0.202	147	195/1,196/1	0.995
112	819/8	0.045	148	764	0.101
113	820/4	0.158	149	765/1	0.525
114	820/5	0.202	150	769/1	2.155
115	766	0.146	151	769/4	0.587
116	767	0.040	152	887	0.624
117	872	0.882	153	848/1	0.445
118	881	0.295	154	862/2	1.214
119	884/1	1.493	155	873/2	1.145
120	867/2	0.567	156	884/3	1.181
121	869	1.064	157	758/1	1.217
122	848/3	0.454	158	875	1.579
123	873/6	1.144	159	886	0.194
124	819/1	0.227	160	847/1	0.057
125	857/1	1.424	161	849/3	0.191
126	867/4	0.218	162	850/1	0.349

163	850/5	0.077	199	754	0.922
164	874/2	0.687	200	778	2.023
165	873/4	1.619	201	862/4	1.011
166	264/2	0.845	202	863/3	1.011
167	830/2	1.262	203	32	0.599
168	874/1	0.040	204	197	2.890
169	871	0.279	205	821/1	1.214
170	873/5	0.474	206	821/2	1.012
171	786	0.061	207	822/2	0.263
172	847/3	0.121	208	762	2.614
173	850/3	0.150	209	793/2	0.987
174	830/3	1.262	210	794	0.878
175	31/3	0.243	211	795	0.729
176	33/3	1.570	212	758/7	0.405
177	854/2	0.992	213	49	0.101
178	855/1	0.579	214	48/1	0.649
179	860	0.243	215	50/1	1.283
180	861	0.040	216	52/1	1.618
181	862/1	0.685	217	28/2	1.817
182	863/2	0.547	218	12/2,12/3	0.956
183	31/2	0.243	219	12/5	1.210
184	204/2	0.534	220	33/4	1.214
185	205/2	0.474	221	8/1,8/2	3.984
186	206/2	0.243	222	47	0.198
187	859	2.012	223	48/2	1.418
188	848/2	1.206	224	270/1	0.283
189	848/4	0.773	225	304/4	0.712
190	218/1	1.320	226	853/1	1.300
191	856/1	0.040	227	858/1	0.607
192	851/4	0.712	228	815	0.462
193	873/7	0.057	229	820/3	0.036
194	301	0.458	230	822/1	2.007
195	824	2.015	231	820/6	0.551
196	745/3	0.368	232	865/3	0.178
197	838/3	1.416	233	864	0.097
198	841/3	0.546	234	865/1	0.429

235	866/3	0.517	271	838/1	1.416
236	303	0.291	272	841/1	0.546
237	306/1	0.211	273	844	0.962
238	306/3	0.093	274	857/3	1.113
239	806/2	0.061	275	819/2	0.227
240	806/3	0.040	276	865/2	0.041
241	806/5	0.122	277	866/2	0.648
242	823/2	0.930	278	867/3	0.259
243	826	1.740	279	842/1	0.652
244	765/2	0.494	280	842/3	0.364
245	768	0.162	281	855/2	1.821
246	769/3	0.295	282	218/2	0.670
247	756	0.259	283	35/4	0.387
248	752	2.922	284	35/5	0.446
249	841/2	0.146	285	23/1	1.164
250	760	0.267	286	25/1	0.339
251	761	0.891	287	5	2.379
252	763	1.809	288	6	0.757
253	266/1	0.064	289	7	0.882
254	307/1	0.574	290	34	0.070
255	808	0.543	291	36	0.283
256	199/1	0.405	292	194	0.551
257	200	0.709	293	276	0.250
258	866/1	0.729	294	278	0.210
259	856/2	0.749	295	281	0.223
260	851/2	0.712	296	284	0.182
261	771	0.793	297	285/1	1.093
262	877/3	1.043	298	286	0.299
263	878	0.113	299	2/1	0.665
264	851/3	0.712	300	4/1	1.809
265	873/1	0.057	301	265	0.113
266	31/1	0.243	302	288	1.113
267	33/1	0.356	303	313	0.041
268	207/1	1.246	304	289	0.409
269	209	0.405	305	255	0.450
270	735/1	0.425	306	292/4	1.485

307	292/1	0.769	343	750	0.202
308	292/3	1.259	344	273/1	0.342
309	823/1	0.783	345	282/2	0.081
310	823/4	0.911	346	283/2	0.194
311	740	1.801	347	285/3	0.142
312	822/3	0.405	348	290/1	0.105
313	879	0.231	349	819/3	0.223
314	880	0.020	350	820/1	0.004
315	883	0.312	351	830/6	0.809
316	884/2	3.857	352	298/1	1.432
317	885	0.061	353	273/2	0.342
318	797/2	0.100	354	274	0.040
319	848/5	0.882	355	275/2	0.166
320	848/6	0.882	356	279	0.825
321	851/1	2.096	357	299/1	1.271
322	857/2	0.991	358	299/2	1.679
323	816	1.018	359	779/5	0.964
324	770	1.619	360	779/3	0.962
325	772	0.057	361	66	0.316
326	773/1-2	1.890	362	817/2	0.081
327	877/1	1.077	363	818/2	0.340
328	845	3.087	364	849/1	0.275
329	846	0.312	365	70	0.567
330	852	2.104	366	71	0.243
331	29	2.432	367	69	0.974
332	31/4	0.420	368	74	0.530
333	23/3	0.205	369	26/1	0.963
334	25/4	0.207	370	35/2	1.398
335	25/2	0.101	371	12/1	0.860
336	52/3	1.619	372	12/4	1.206
337	201/1	0.720	373	35/7	1.349
338	202/1	0.234	374	67	1.820
339	203/1	0.797	375	782/1	1.214
340	748	0.829	376	782/2	1.209
341	751	0.243	377	783	0.158
342	749	0.514	378	784	0.247

379	208/3	0.809	415	252	0.213
380	828	2.975	446	253	0.204
381	832	1.724	447	249	0.656
382	210	0.543	448	250	0.364
383	211	0.057	449	244/1	0.170
384	214	1.044	450	244/2	0.562
385	256	0.320	451	26/3	0.629
386	269/2	0.611	452	14	0.223
387	262/3	1.153	453	15	0.110
388	262/4	0.809	454	311	0.300
389	25/3	0.170	455	807	0.462
390	23/4	0.417	456	305/2	0.862
391	53/1	1.619	457	569	1.187
392	208/1	0.809	458	574	0.798
393	777/1	1.931	459	581	2.477
394	779/6	0.226	460	557/2	0.280
395	779/7	0.458	461	558/2	0.243
396	779/8	0.458	462	558/1	0.325
397	781	1.424	463	568/1	0.918
398	779/1	0.555	464	541/2	0.202
399	711	1.052	465	571/2	0.263
400	790	0.081	466	552/1	0.808
401	758/5	2.023	467	552/2	0.794
402	246/2	0.190	468	552/3	0.693
403	792	1.959	469	564/1	0.290
404	57	0.213	470	567/1	1.081
405	135/1	0.070	471	570/1	0.863
406	135/3	0.160	472	561/1	0.306
407	76/1	0.405	473	573/1	0.792
408	54/1	0.340	474	564/2	0.289
409	63	0.202	475	567/2	1.060
410	54/2	0.295	476	570/2	0.650
411	54/3	0.479	477	561/2	0.305
412	53/2	0.226	478	573/2	0.791
413	248	0.113	479	735/2	0.404
414	251	1.623	480	841/4	0.406

481	554	0.320	517	823/1	0.783
482	551/2	0.567	518	854/5	0.995
483	541/1	0.203	519	745/4	0.737
484	563	0.967	520	583/3	0.202
485	571/1	0.264	521	575/2	0.397
486	583/2	0.850	522	580/2	1.237
487	541/3	0.032	523	557/1	0.145
488	565	0.988	524	578/2-4	0.384
489	568/2	0.413	525	722/1	0.483
490	571/3	0.266	526	723/1	0.408
491	559	2.027	527	796/2	0.497
492	566	1.308	528	745/1	0.004
493	731/4	0.405	529	714	1.121
494	731/5	0.518	530	577/2	0.263
495	542	0.240	531	578/3	1.263
496	731/1	0.385	532	582	0.858
497	731/3	0.072	533	583/1	0.643
498	725	0.608	534	745/2	0.368
499	724/2	0.015	535	731/6	0.517
500	724/3	0.405	536	814	0.664
501	724/4	0.696	537	753/1	0.283
502	724/5	0.809	538	722/3	0.483
503	724/1	0.030	539	723/3	0.409
504	724/6	1.214	540	578/5	0.441
505	724/7	0.486	541	577/3	0.132
506	728	0.705	542	823/3	1.578
507	720/1	0.129	543	742/1	0.086
508	720/3	0.357	544	744/1	0.424
509	720/2	0.506	545	813/2	0.001
510	716	0.450	546	575/1	0.396
511	715/1	0.305	547	580/1	1.243
512	798/1	0.075	548	562	0.809
513	798/2	0.030	549	755/1	0.097
514	809	0.462	550	823/5	1.862
515	810	0.547	551	813/1	0.061
516	737	0.752	552	746/2	0.883

552	747/3	0.202	573	578/1	0.441
553	722/2	0.483	574	742/2	0.086
554	723/2	0.409	575	742/3	0.172
555	572	0.761	576	744/2	0.424
556	732	0.749	577	744/3	0.847
557	736	0.749	578	551/3	0.984
558	738	2.135	579	746/1	0.882
559	739	0.364	580	747/1	0.203
560	747/2	0.558	581	735/3	0.020
561	710/2	0.101	582	838/2	0.790
562	715/2	0.303	583	586	0.150
563	743/1	0.332	584	551/1	0.426
564	743/2	0.429	585	521	0.089
565	743/3	0.247	586	136	0.245
566	743/4	0.251	587	73	0.220
567	576	0.526	588	33/2	1.575
568	579	2.529	589	25/5	0.206
569	734	0.785	योग	399.778 हेक्टर एवं	
570	753/2	1.000	:-	प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने	
571	753/3	1.000		वाली संपत्तियाँ	
572	577/1	0.131			

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यववर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक-4 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 4935-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेंसी क्लोज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाड़ा			
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा			
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम-जम्होड़ी पण्डा प.ह.नं.- 31 ब.नं.-186 रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1			
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ			
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)	क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1	2/1	0.530	8	176	0.324
2	2/2	0.263	9	178/1	0.721
3	8	0.065	10	3	1.060
4	10	0.121	11	9	1.094
5	16	0.607	12	12	0.049
6	20	1.862	13	14	0.619
7	44	1.052	14	15	0.769

15	22	2.186	51	239/2	0.166
16	23/2	0.586	52	240/2	0.188
17	26/1	1.744	53	241/3	0.263
18	4	1.092	54	243/1	0.125
19	7/1	0.756	55	23/3	0.300
20	55/7	0.137	56	23/5	0.668
21	5/1	0.477	57	23/7	0.171
22	5/2	0.251	58	23/9	0.283
23	5/3	0.243	59	56/1	0.261
24	5/4	0.235	60	56/4	0.243
25	29/3	0.303	61	56/6	0.164
26	30/1	0.405	62	207	0.283
27	6	0.275	63	230/2	0.243
28	7/2	0.757	64	231/1	0.121
29	54	1.367	65	236/1	0.020
30	55/8	0.138	66	237/1	0.121
31	11	0.121	67	238/3	0.288
32	13	0.121	68	239/1	0.142
33	17	2.388	69	243/3	0.141
34	18	1.619	70	23/6	0.672
35	21	1.672	71	23/8	0.202
36	23/1	0.670	72	27	0.789
37	23/4	0.151	73	56/5	0.162
38	56/2	0.243	74	213	0.324
39	56/3	0.243	75	231/3	0.081
40	56/7	0.142	76	232/1	0.203
41	212	0.324	77	234/1	0.214
42	229/1	0.219	78	236/3	0.045
43	229/2	0.182	79	237/3	0.158
44	231/2	0.122	80	238/2	0.243
45	236/2	0.020	81	240/1	0.180
46	237/2	0.101	82	243/2	0.126
47	232/2	0.202	83	24/1	0.356
48	234/2	0.202	84	24/2	0.170
49	235	0.085	85	25/1	0.036
50	238/1	0.202	86	58/2	0.547

87	90/1	0.594	123	154/460/4	0.372
88	58/1	0.202	124	77	0.304
89	25/2	0.207	125	28	0.497
90	58/1	0.546	126	29/2	0.498
91	90/2	0.595	127	30/2	0.090
92	26/2	0.405	128	29/1	0.441
93	78/1	1.043	129	30/4	0.085
94	78/3	0.515	130	30/3	1.112
95	149/2	0.324	131	439	1.239
96	190/1	0.465	132	32	0.591
97	195/2	0.496	133	172	3.299
98	152	0.028	134	173	0.648
99	153	0.798	135	33	0.587
100	296/2	0.113	136	34	1.121
101	296/8	0.243	137	76/2	0.939
102	428/10	0.057	138	102/1	1.109
103	428/11	0.273	139	35	0.368
104	428/12	0.258	140	36	0.194
105	154/460/9	0.187	141	37	0.490
106	100/3	0.797	142	38	1.161
107	154/8	0.700	143	40	1.193
108	296/6	0.291	144	75	1.072
109	26/3	0.405	145	39/1	0.242
110	78/2	0.211	146	39/2	0.381
111	151	0.711	147	39/4	0.797
112	154/7	0.700	148	39/3	0.219
113	190/2	0.466	149	76/1	0.296
114	149/4	0.324	150	262	1.133
115	181/1	0.647	151	263	0.539
116	195/1	0.496	152	41/1	0.741
117	296/5	0.243	153	42/1	0.696
118	425/1	0.134	154	41/2	0.740
119	428/3	0.272	155	42/2	0.692
120	428/1	0.056	156	104/1	1.461
121	428/5	0.258	157	43/1	0.113
122	154/460/3	0.809	158	55/2	0.618

159	55/4	1.206	195	65	0.227
160	43/2	0.093	196	66	0.121
161	55/1	0.656	197	67	0.089
162	55/6	0.906	198	68	0.210
163	96/3	0.802	199	127/1	0.243
164	45/1	1.384	200	129	0.497
165	47	0.020	201	130	0.223
166	48	0.032	202	131	0.121
167	49	1.724	203	132	0.112
168	141/2	0.054	204	134/2	1.170
169	45/2	1.384	205	136	0.057
170	50	1.554	206	166	0.773
171	51	0.028	207	209/2	0.028
172	46	2.776	208	210/1	0.040
173	52	2.359	209	69	1.299
174	55/3	0.806	210	70/1	0.093
175	96/1	0.897	211	70/5	0.073
176	55/5	0.405	212	70/7	0.182
177	57/1	0.867	213	209/1	0.380
178	57/2	0.607	214	219/1	0.045
179	233/1	0.121	215	219/4	0.304
180	233/2	0.283	216	220/2	0.210
181	59	0.445	217	241/2	0.275
182	60	0.452	218	70/2	0.089
183	63	0.458	219	70/4	0.077
184	64	0.295	220	209/3	0.061
185	128	0.428	221	219/2	0.048
186	134/1	1.081	222	219/3	0.381
187	133	0.914	223	220/1	0.230
188	135	0.206	224	70/3	0.178
189	161	0.081	225	70/6	0.546
190	162	0.065	226	241/1	0.546
191	163	0.061	227	70/8	0.203
192	165	0.765	228	72/1	0.486
193	61	0.700	229	72/4	0.567
194	62	0.283	230	97/3	0.417

231	72/2	0.518	266	304/3	0.032
232	72/5	0.485	267	84/2	0.415
233	73/1	0.127	268	123	0.065
234	97/2	0.409	269	124	0.231
235	72/3	0.518	270	216	1.080
236	72/6	0.465	271	222	0.632
237	73/2	0.152	272	223	0.445
238	97/1	0.409	273	224	0.510
239	74	2.468	274	225	0.551
240	76/3	0.020	275	226	0.368
241	154/1 } 154/3 }	0.810	276	302/7	1.117
242	79	2.108	277	302/8 } 304/4 }	0.089
243	82	1.173	278	84/3	0.415
244	83	1.214	279	107	1.032
245	155	1.659	280	110	0.065
246	156	0.963	281	108	0.849
247	80	0.729	282	109	0.016
248	81	0.947	283	112/2	0.085
249	84/1	0.809	284	116/2	0.081
250	92	0.482	285	119/2	0.081
251	93/1	0.194	286	144	0.210
252	93/2	0.040	287	147/2	0.247
253	105	0.959	288	302/1 } 302/2 }	0.425
254	106	0.813		302/3 }	
255	112/1	0.150			
256	112/3	0.137	289	302/5 } 304/1 }	0.251
257	115	0.384			
258	116/1	0.081	290	85/1	1.160
259	284	0.061	291	89/1	0.070
260	298	1.356	292	91/1	0.907
261	301/1	0.866	293	111/1	0.101
262	302/4	0.558	294	117/1	0.725
263	302/6	0.291	295	146/1	0.215
264	303	0.089	296	149/1	0.397
265	304/2	0.057	297	150	0.890

298	85/2	0.386	334	101/4	0.445
299	89/2	0.023	335	431/2	0.790
300	91/2	0.303	336	100/4	0.215
301	111/2	0.033	337	154/5	0.688
302	117/2	0.242	338	296/4	0.121
303	146/2	0.072	339	296/9	0.128
304	149/3	0.132	340	428/6	0.081
305	86	0.886	341	460/154/5	0.365
306	138	0.081	342	460/154/7	0.242
307	139	1.874	343	428/9	0.162
308	140	1.271	344	101/1	0.405
309	87	1.829	345	101/5	0.331
310	113	0.304	346	431/1	0.789
311	114	0.781	347	101/3	0.405
312	88	0.348	348	101/6	0.331
313	93/3	0.608	349	431/3	0.790
314	94/1	0.445	350	431/4	0.202
315	94/3	0.707	351	102/2	0.381
316	94/2	0.708	352	103/1	0.809
317	94/4	0.445	353	103/2	0.405
318	95	0.859	354	103/3	0.405
319	96/2	0.486	355	104/2	0.324
320	98	2.278	356	118	0.053
321	99/1	0.863	357	119/1	0.931
322	99/2	0.696	358	141/1	0.777
323	100/1	0.243	359	120	1.295
324	154/4	0.688	360	122	0.210
325	296/3	0.121	361	125	0.450
326	296/8	0.128	362	126	0.640
327	460/154/2	0.263	363	127/2	0.732
328	460/154/6	0.365	364	141/3	0.715
329	425/2	0.129	365	147/1	0.081
330	428/2	0.174	366	148/1	0.861
331	428/4	0.503	367	148/2	1.255
332	100/2	0.113	368	100/5	0.223
333	101/2	0.405	369	154/2	0.688

370	296/7	0.254	406	170/2	0.186
371	428/7	0.162	407	171/1	0.638
372	428/8	0.081	408	171/3	0.474
373	460/154/1	0.435	409	183/1	0.846
374	460/154/8	0.304	410	189/2	1.264
375	154/6	0.072	411	168/1	0.352
376	157/1	0.325	412	168/4	0.474
377	168/2	0.421	413	169/2	0.184
378	168/3	0.490	414	175	0.328
379	169/1	0.184	415	174	0.283
380	157/2	0.381	416	177/1	0.849
381	157/3	0.352	417	179/1	0.282
382	157/4	0.284	418	177/2	0.405
383	157/5	0.246	419	179/2	0.405
384	158/1	0.668	420	182/9	1.231
385	191/1	0.041	421	178/2	0.405
386	158/2	0.670	422	205/1	1.332
387	159/1	0.144	423	179/3	0.405
388	159/4	0.263	424	205/2	1.331
389	159/6	0.263	425	180/1	0.364
390	159/8	0.142	426	180/2	0.405
391	159/2	0.144	427	182/1	0.121
392	159/3	0.263	428	182/4	0.971
393	159/5	0.263	429	181/2	0.397
394	159/7	0.141	430	181/3	0.169
395	164	0.049	431	182/2	0.141
396	167/1	0.202	432	182/5	0.433
397	167/4	0.526	433	182/3	0.121
398	170/1	0.178	434	182/6	0.445
399	171/2	0.749	435	182/8	1.235
400	171/4	0.470	436	182/7	1.839
401	183/2	0.854	437	184/1	0.486
402	189/1	0.809	438	185/1	0.859
403	189/3	0.704	439	185/3	0.130
404	167/2	0.186	440	184/2	0.752
405	167/3	0.527	441	185/2	0.535

442	185/4	0.132	478	228/1	0.618
443	186	0.045	479	215	0.424
444	191/2	1.011	480	221/3	0.086
445	191/3	0.991	481	227	0.903
446	191/4	0.020	482	228/2	0.405
447	192	0.105	483	230/1	0.413
448	202	1.326	484	238/4	0.101
449	193	0.914	485	244/1	0.320
450	194	0.320	486	245/1	0.040
451	198	0.462	487	247	0.089
452	199/1	0.421	488	251/1	0.324
453	203/1	0.210	489	254/1	0.142
454	203/3	0.226	490	281/1	0.405
455	203/5	0.340	491	281/3	0.849
456	221/2	0.121	492	289/1	0.040
457	260/2	0.304	493	244/2	0.081
458	261/2	0.345	494	245/2	0.405
459	260/4	0.202	495	251/2	0.182
460	261/1	0.364	496	254/2	0.142
461	199/2	0.647	497	281/2	0.607
462	203/2	0.094	498	281/4	0.660
463	203/4	0.461	499	289/2	0.040
464	221/1	0.121	500	246	0.073
465	201/1	1.011	501	249	0.562
466	201/2	0.809	502	253	0.053
467	201/3	1.024	503	280/1	1.254
468	204/1	1.048	504	248	0.155
469	299/1	0.704	505	250/2	0.607
470	204/2	1.053	506	258/2	0.364
471	299/2	0.704	507	260/3	0.251
472	209/4	0.162	508	261/3	0.514
473	210/2	0.121	509	266/4	0.162
474	211	0.624	510	268/2	0.251
475	217	0.081	511	270/1	0.495
476	218	0.251	512	282/2	0.420
477	214	1.757	513	250/1	0.469

514	256	0.032	550	269/4	0.212
515	257/1	0.295	551	285/5	0.048
516	257/2	0.163	552	286/3	0.162
517	258/1	0.324		286/4	
518	258/3	0.073	553	292/2	0.234
519	260/1	0.316	554	292/4	0.048
520	265/1	0.081	555	269/3	0.223
521	266/1	0.138	556	285/3	0.081
522	266/3	0.121	557	286/1	0.065
523	266/5	0.121	558	286/6	0.162
524	267	0.162	559	290/3	0.223
525	268/1	0.202	560	291	0.142
526	269/1	0.314	561	292/1	0.162
527	270/2	0.393	562	297/4	0.251
528	271	0.526	563	272	0.486
529	273	0.486	564	274	0.085
530	277/2	0.154	565	275/1	0.182
531	277/3	0.393	566	275/2	0.162
532	278/1	0.089	567	276/1	0.222
533	278/3	0.081	568	276/2	0.222
534	278/4	0.081	569	277/1	0.170
535	278/5	0.024	570	278/2	0.113
536	278/6	0.020	571	278/7	0.020
537	279/1	0.129	572	283/1	0.295
538	280/2	0.445	573	283/2	0.300
539	282/1	0.486	574	285/4	0.073
540	282/3	0.364	575	286/2	0.065
541	285/1	0.202	576	286/5	0.048
542	285/2	0.202	577	292/3	0.321
543	290/1	0.162	578	293/1	0.501
544	290/2	0.089	579	294/1	0.190
545	265/2	0.445	580	295/1	0.789
546	266/2	0.275	581	293/2	0.709
547	279/2	0.312	582	294/2	0.008
548	288	0.243	583	295/2	0.251
549	269/2	0.213	584	293/3	0.283

585	301/2	0.854	592	297/1	1.202
586	301/3	0.234	593	300	1.388
587	301/4	0.344	594	363	0.682
588	301/5	0.405	595	206	0.328
589	301/6	0.324	योग :-	275.049 हेक्टेयर एवं उक्त रकबें पर आने वाली परिसंपत्तियां	
590	296/1	0.405			
591	297/2	0.121			

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 4936-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाडा			
ख.	तहसील	चौरई			
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम- धनौरा प.ह.नं.- 08 ब.नं.- 135 रा.नि.मंडल-चौरई			
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ			
कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5	6
1	69/1,70/1,71/1,72/2	0.782	11	346	0.922
2	69/2,70/2,71/2,72/2	0.594	12	348	0.886
3	69/3	0.510	13	351	1.044
4	69/5	0.486	14	352	0.934
5	233/3	0.687	15	424/1	0.008
6	69/4,70/3,71/3,72/3	0.594	16	73/3	0.949
7	69/6,70/4,71/4,72/4	1.000	17	73/4	0.405
8	73/1	0.365	18	73/5, 520/2	0.485
9	520/1	0.606	19	293/2,295/2	0.320
10	73/2	0.949	20	312/2	0.197

21	312/9	0.291	59	411/3	0.105
22	444/2	0.044	60	415	0.121
23	73/6,520/3,	0.405	61	416	0.073
24	293/7,295/9	0.485	62	466/1	0.006
25	312/7	0.202	63	470/2,471/2	0.008
26	312/8	0.322	64	476	0.028
27	73/7	0.405	65	419/1	0.963
28	293/6,295/8	0.408	66	420/2	0.142
29	311/3	0.188	67	420/3	0.142
30	312/5	0.121	68	151/1, 151/3	0.615
31	312/6	0.120	69	404/2,405,409/2	2.910
32	122/2	0.142	70	152	0.409
33	123/1	0.304	71	230	0.619
34	122/3, 123/2	0.421	72	536	0.567
35	107/2	0.004	73	153	0.247
36	130	0.178	74	161/1	0.356
37	137	0.053	75	449/1	0.012
38	138/2	0.138	76	163	0.162
39	154/2	0.125	77	158/2	1.618
40	155	0.142	78	159	0.073
41	156	0.219	79	160/2	0.273
42	158/1	3.150	80	162/2	0.364
43	138/3	0.105	81	162/4	0.405
44	139	0.239	82	164/1	0.117
45	148	1.546	83	173/2	0.020
46	149/6	1.910	84	182	0.466
47	357/1, 358/1	0.198	85	184/1	0.339
48	360/1	0.110	86	229/1	0.979
49	548	0.146	87	470/1,471/1	0.012
50	549/2	1.107	88	472	0.036
51	147	0.129	89	149/4	1.021
52	149/1	0.882	90	367/2,551/1	0.158
53	149/3	0.728	91	454/1	0.018
54	142/2	0.008	92	149/5	1.295
55	149/2	1.773	93	367/3,551/2	0.158
56	150	0.627	94	149/7	1.022
57	226/1	0.291	95	367/4,551/3	0.158
58	227/1	0.291	96	454/2	0.018

97	549/3	0.494	135	246	0.162
98	549/4	0.125	136	253	0.833
99	160/1	0.346	137	272	0.821
100	162/1	0.405	138	179	0.178
101	162/3	0.369	139	181	0.449
102	164/2	0.118	140	287	0.957
103	165	0.125	141	183	0.437
104	171	0.255	142	191	1.238
105	173/5	0.020	143	215	1.218
106	174	0.085	144	216	1.696
107	175	0.085	145	197/1	0.181
108	176	0.069	146	200/1	0.364
109	177	0.478	147	201	0.049
110	184/2	0.341	148	202	0.053
111	185	0.202	149	205/2	0.628
112	229/2	0.591	150	197/2	0.230
113	229/3-4	1.458	151	200/2	0.405
114	242/2	0.012	152	200/4	0.173
115	243	0.024	153	200/3	0.855
116	244	0.016	154	204	0.559
117	251/2	0.639	155	205/1	0.282
118	119/2	0.036	156	207	0.482
119	120	0.081	157	208/1,209,210	1.502
120	275/1-2,276/1-2	0.904	158	208/2	0.809
121	161/2	0.335	159	222	2.063
122	451/1-2	0.044	160	211/2	0.065
123	161/3	0.381	161	212	0.713
124	251/1	0.648	162	213	1.159
125	172	0.348	163	223/2	0.405
126	173/4	0.202	164	221/2	0.251
127	186	1.238	165	271/1	0.243
128	173/3	0.081	166	271/2	0.405
129	286/5	0.272	167	271/3	0.081
130	482/2	0.008	168	273/1	0.324
131	273/3	0.320	169	273/4	0.316
132	273/6	0.129	170	286/1	0.272
133	178	0.316	171	461	0.020
134	228	2.626	172	462	0.032

173	273/5	0.153	211	240	0.214
174	223/1	0.975	212	236/2,237/2	0.222
175	224/1-2	0.704	213	293/3,295/3	0.543
176	225/1-2	1.056	214	433/3	0.018
177	226/2-3	0.639	215	245	0.020
178	227/2-3	0.651	216	248/1	0.008
179	232/1,233/1	0.620	217	250/1	0.530
180	376/5, 434/5, 500/5	0.124	218	248/3	0.121
181	376/6,434/6,500/6	0.044	219	362/2	0.113
182	445/2	0.023	220	381/6	0.332
183	504/2	0.073	221	381/23	0.243
184	232/2,233/2	0.405	222	390/1	0.255
185	234/1	0.405	223	390/2	0.243
186	248/5	0.265	224	425	0.061
187	257/8	0.761	225	426/1	0.057
188	258/1	0.243	226	605/1	0.769
189	364/1	0.377	227	619/1	0.283
190	381/3	0.101	228	619/5	0.510
191	381/5	0.631	229	381/8	0.502
192	381/25	0.040	230	381/4	0.073
193	386/1	0.526	231	619/9	0.255
194	387	0.024	232	248/2,362/1	0.370
195	428/1	0.008	233	250/2	0.263
196	463/1	0.036	234	275/5,276/5	0.324
197	619/3	0.284	235	360/2	0.312
198	234/2	0.405	236	248/4	0.263
199	234/3	0.340	237	293/10,295/12	0.421
200	257/5	0.809	238	388	0.417
201	619/4	0.243	239	389	0.494
202	619/7	0.247	240	249	0.089
203	608	0.324	241	250/3	0.263
204	612	0.506	242	252	0.858
205	236/1,237/1	0.227	243	254/1	1.655
206	236/3,237/3	0.226	244	273/2	0.308
207	236/4,237/4	0.226	245	397/1	0.129
208	236/5,237/5	0.227	246	397/3	0.129
209	238	0.081	247	409/4	0.340
210	239	0.255	248	419/2	0.024

249	420/4	0.202	287	381/20	0.369
250	446	0.057	288	381/21	0.510
251	447/2	0.012	289	386/2	0.454
252	450/1	0.012	290	426/2	0.053
253	254/2	0.773	291	426/3	0.028
254	269/3	0.971	292	257/6	0.583
255	270	0.841	293	257/9	0.518
256	288	0.874	294	258/6	0.081
257	292/1	0.386	295	259	1.153
258	292/2	0.660	296	492	0.089
259	292/3	0.210	297	260	0.251
260	407/2	0.057	298	261/6	0.284
261	408	0.085	299	267/9	0.307
262	409/5	0.939	300	267/10	0.308
263	409/3	0.509	301	468	0.012
264	411/2	0.380	302	261/1	0.638
265	510/4	0.121	303	267/3	0.040
266	510/7	0.073	304	267/4	0.114
267	255	0.219	305	279/6,280/2	0.469
268	258/4	0.445	306	261/2	0.405
269	269/2	0.898	307	265	0.069
270	510/5	0.073	308	261/3	0.729
271	257/1	0.809	309	261/4	0.405
272	258/3	0.182	310	267/5	0.040
273	257/3	0.603	311	267/6	0.114
274	258/2	0.178	312	480/2	0.039
275	604/3	0.101	313	261/5	0.445
276	606/2	0.230	314	279/5	0.405
277	619/12	0.247	315	267/7	0.040
278	257/2	0.259	316	267/8	0.114
279	258/5	0.040	317	263	0.065
280	620/4	0.239	318	264	1.935
281	620/5	0.117	319	266	1.566
282	257/4	0.607	320	267/1	0.040
283	257/7	0.648	321	267/2	0.113
284	381/19	0.073	322	279/2,280/1	0.939
285	619/10	0.292	323	269/1	0.866
286	384/4	0.097	324	275/3,276/3	0.464

325	275/4,276/4	0.607	363	337	0.478
326	275/6,276/6	0.459	364	338/1	0.194
327	420/6	0.243	365	338/2	0.405
328	353/1	0.405	366	338/3	0.081
329	360/3	0.202	367	339/1	0.405
330	275/7,276/7	0.547	368	339/2	0.906
331	291/2	2.201	369	340,341	0.161
332	285/1	0.579	370	342	0.073
333	291/1	0.303	371	343	0.097
334	285/4	0.567	372	349/2	0.809
335	291/3	0.303	373	423	0.057
336	292/4	0.387	374	479	0.040
337	293/1	0.291	375	491/2	0.032
338	295/5	0.518	376	299/2	0.061
339	293/4,295/4	0.482	377	300/2	0.385
340	295/6	2.565	378	302/2	0.162
341	293/5,295/7	0.203	379	302/3,303/2	0.445
342	293/8,295/10	0.202	380	305/2	0.202
343	293/11,295/13	0.364	381	308/2,309/2	0.182
344	433/1	0.018	382	301/1	0.360
345	295/1	0.809	383	304/1	0.158
346	319/2	1.477	384	307/1	0.112
347	320/2	0.951	385	310/1	0.061
348	381/1-2	0.535	386	311/2	0.081
349	381/10-12	1.335	387	312/3	0.101
350	381/11-13-17-18	1.206	388	312/4	0.101
351	381/16	0.405	389	313/1,314/1	0.267
352	382/1	0.405	390	317/3	0.122
353	383/2	0.121	391	491/1	0.014
354	296	0.987	392	301/2	0.361
355	298/1	1.242	393	304/2	0.158
356	298/2	0.324	394	307/2	0.113
357	316	0.777	395	310/2	0.060
358	298/3	0.539	396	311/4	0.081
359	299/1,300/1	0.412	397	312/10	0.101
360	302/1,303/1	0.490	398	312/11	0.101
361	305/1,306	0.521	399	313/2,314/2	0.271
362	308/1,309/1	0.264	400	317/4	0.122

401	491/3	0.014	439	331/2,332/2,333/2	0.081
402	311/1	0.188	440	334/1	0.121
403	312/1	0.815	441	334/2	0.174
404	317/1	0.222	442	335	0.142
405	319/3,320/3	1.214	443	336	0.150
406	323/2,324/2	1.214	444	344	2.197
407	323/3,324/3	0.274	445	347	0.069
408	325/4	0.749	446	345	0.243
409	317/2	0.607	447	441	0.053
410	325/1	0.202	448	442	0.036
411	318/1	1.449	449	443	0.040
412	318/2	2.468	450	350	0.283
413	318/4	0.008	451	353/2	0.271
414	318/3	1.072	452	424/2	0.040
415	319/1,320/1	1.214	453	354/1	0.502
416	321/1	0.332	454	354/4	0.159
417	321/2	0.332	455	354/5	0.162
418	321/3	0.291	456	354/8	0.054
419	321/4	0.502	457	354/9	0.014
420	321/5	0.211	458	354/10	1.533
421	322	0.113	459	356/2	0.284
422	323/1	0.534	460	356/3	0.280
423	324/1	0.528	461	458/3	0.030
424	323/4,324/4	1.214	462	354/3	0.081
425	323/5,324/5	0.273	463	354/6	0.547
426	325/2	0.227	464	354/7	1.303
427	326	0.097	465	356/1	0.599
428	325/6	0.607	466	356/6	0.285
429	325/7	0.657	467	458/1	0.061
430	325/3	0.607	468	458/2	0.061
431	325/5	1.032	469	354/14	0.277
432	354/2	0.767	470	354/15	0.027
433	328/1	0.105	471	354/11	0.767
434	329/1,330/1	0.625	472	354/12	0.711
435	331/1,332/1,333/1	0.154	473	354/13	0.067
436	328/2	0.053	474	355	0.117
437	353/3	0.271	475	356/4	0.285
438	329/2,330/2	0.311	476	356/5	0.279

477	458/4	0.031	514	495/2	0.121
478	357/2,358/2	0.199	515	533/2	0.073
479	286/4	0.607	516	540/2	0.129
480	359	0.579	517	540/20	0.057
481	364/2	0.214	518	540/9	0.251
482	381/7	0.551	519	540/14	0.045
483	381/9	0.486	520	542/2,545/2	0.947
484	381/24	0.154	521	546/4,547/4	0.145
485	384/2	0.267	522	546/8,547/8	0.214
486	384/5	0.162	523	558/2	0.028
487	428/4	0.012	524	573/1	0.053
488	366/1,367/1	0.226	525	574/1	0.405
489	366/2	0.130	526	574/2	0.478
490	372/15	0.121	527	574/3	0.101
491	373/9	0.020	528	580/4	0.065
492	431/1	0.040	529	499/4	0.069
493	514/5	0.242	530	368/4	0.182
494	549/1	0.494	531	368/5	0.182
495	550	0.121	532	369/1,370/1,371/1-2,372/4,373/1	0.372
496	549/5	0.121	533	533/5	0.073
497	465/2	0.004	534	539/2	0.017
498	368/1	0.287	535	540/1	0.051
499	368/2	0.202	536	540/16	0.073
500	368/3	0.243	537	540/8	0.251
501	369/2	0.421	538	546/3	0.119
502	369/3	0.372	539	547/3	0.364
503	374	0.688	540	546/6, 547/6	0.145
504	375/2	0.243	541	574/7	0.473
505	378/1	0.405	542	574/8	0.101
506	378/3	0.202	543	575/1	0.477
507	431/2	0.036	544	533/3	0.073
508	529/1	0.315	545	432/1	0.028
509	581/1	0.145	546	432/2	0.032
510	379/2	0.259	547	377/1	0.089
511	369/4,369/5,369/8,372/2, 372/3, 372/8,373/2-3,373/4	0.609	548	369/6,369/10,372/1,372/5,372/6, 373/5,373/6,	0.300
512	435	0.089	549	380/2	0.320
513	486/14-15-16	0.105	550	433/2	0.036

551	537/2,538/2	0.303	588	580/3	0.061
552	539/1	0.162	589	375/1	0.732
553	539/3	0.036	590	376/1,434/1,500/1	0.276
554	540/6	0.110	591	376/2,434/2,500/2	0.405
555	540/10	0.251	592	376/3, 434/3, 500/3	0.204
556	540/24	0.053	593	376/4, 434/4, 500/4	0.197
557	558/3	0.028	594	445/1	0.046
558	369/7,369/9,370/2,372/9, 372/7,372/10	0.506	595	504/1	0.073
559	372/16,373/10	0.178	596	373/11	0.142
560	486/11-12-13	0.101	597	499/5	0.069
561	546/5, 547/5	0.145	598	540/13	0.097
562	430/2	0.016	599	540/21	0.057
563	438/1	0.045	600	377/2	0.085
564	485/1	0.024	601	577/1	0.093
565	496/3	0.008	602	378/2	0.202
566	499/3	0.069	603	429/3	0.032
567	540/11,540/17	0.124	604	502/1	0.012
568	540/18	0.061	605	503/2	0.061
569	540/23	0.057	606	541/1	0.849
570	546/7,547/7	0.210	607	544/1	0.085
571	558/4	0.028	608	379/1	0.518
572	539/4	0.036	609	430/3	0.016
573	540/4	0.129	610	495/3	0.242
574	573/2	0.053	611	497/1	0.024
575	574/4, 574/5	0.407	612	506	0.247
576	580/1	0.251	613	531/2	1.113
577	580/2	0.061	614	530/1	0.749
578	369/11,370/3,371/3, 372/11	0.372	615	530/2	0.759
579	369/12,369/13,372/12, 372/13,372/14, 373/7, 373/8	0.310	616	509/1	0.279
580	380/3	0.320	617	509/2	0.267
581	466/2	0.005	618	509/3	0.267
582	537/3,538/3	0.318	619	578	0.368
583	546/2,547/2	0.284	620	579	0.368
584	546/13, 547/13	0.172	621	495/4	0.247
585	574/6	0.050	622	531/1	1.125
586	575/2	0.236	623	380/1	0.335
587	576/3	0.025	624	466/1	0.006

625	486/8-9-10	0.105	663	385/2	0.761
626	496/4	0.012	664	428/3	0.061
627	497/2	0.020	665	605/2	0.174
628	498	0.032	666	619/8	0.365
629	499/2	0.065	667	620/1	0.178
630	533/4	0.073	668	381/22	0.510
631	537/1,538/1	0.141	669	383/1	0.372
632	540/15	0.073	670	385/1	0.202
633	540/19	0.061	671	604/2	0.101
634	546/10,547/10	0.080	672	606/1	0.230
635	546/11,547/11	0.172	673	619/11	0.243
636	573/3	0.049	674	392/1	0.769
637	380/4	0.320	675	392/2	0.768
638	466/3	0.005	676	392/3	0.769
639	537/4,538/4	0.165	677	393	0.368
640	540/3	0.104	678	395	0.672
641	540/30	0.100	679	397/2	0.243
642	444/1	0.045	680	420/5	0.352
643	496/1	0.008	681	464/1	0.016
644	496/2	0.008	682	464/3	0.004
645	539/5	0.016	683	394	0.291
646	540/5,540/28	0.065	684	399	0.255
647	540/7	0.053	685	396	0.539
648	539/7	0.019	686	422	0.032
649	540/12	0.097	687	482/1	0.012
650	540/25,540/29	0.028	688	528/2	0.324
651	540/27	0.050	689	564	0.186
652	546/12,547/12	0.283	690	566	0.194
653	546/14,547/14	0.172	691	567	1.007
654	574/9	0.051	692	620/2	0.219
655	575/3	0.237	693	401	0.380
656	576/2	0.024	694	420/1	1.214
657	381/14	0.024	695	464/2	0.008
658	382/2	0.125	696	613	0.384
659	382/3	0.121	697	620/3	0.118
660	381/15	0.093	698	404/1	0.081
661	384/1	0.295	699	407/1	0.073
662	384/3	0.154	700	409/1	0.898

701	412	0.032	739	452/1	0.020
702	417	0.231	740	452/2	0.016
703	428/2	0.061	741	453	0.024
704	619/2	0.924	742	459, 460	0.036
705	429/1	0.065	743	465/1	0.008
706	429/2	0.032	744	473/1	0.014
707	502/2	0.012	745	494/1	0.039
708	503/3	0.060	746	590/1	0.242
709	541/2,544/2	0.282	747	594/1	0.914
710	430/4	0.016	748	595/1	0.400
711	430/1	0.016	749	596/1	0.630
712	485/3	0.012	750	592/1	0.008
713	486/20	0.051	751	473/2	0.013
714	495/1	0.121	752	494/2	0.039
715	558/1	0.028	753	591	0.247
716	573/4	0.049	754	592/2	0.526
717	438/2	0.045	755	593/2	0.149
718	439	0.036	756	588	0.405
719	570	0.125	757	589	0.619
720	600	0.069	758	590/2	0.037
721	440	0.057	759	473/3	0.013
722	467	0.004	760	494/3	0.039
723	447/1	0.065	761	593/1	0.114
724	526/1	0.405	762	598	0.522
725	525/3	0.405	763	594/2	1.000
726	525/5	0.324	764	595/2	0.421
727	524/1	0.134	765	596/2	0.006
728	522/1	0.081	766	475	0.032
729	522/2	0.113	767	477	0.020
730	522/3	0.040	768	478	0.053
731	450/3	0.016	769	480/1	0.115
732	448	0.053	770	483	0.016
733	449/2	0.016	771	486/17-18-19	0.101
734	449/3	0.016	772	546/9,547/9	0.214
735	450/2	0.012	773	484	0.028
736	522/12,523/3	0.302	774	485/2	0.012
737	522/13,523/4	0.142	775	486/2,486/3,486/5	0.050
738	522/10,523/1	0.142	776	499/1	0.065

777	493	0.101	815	522/16	0.186
778	503/1	0.162	816	524/2	0.129
779	503/4	0.061	817	525/7	0.135
780	539/6	0.016	818	526/2	0.380
781	540/22	0.085	819	518/3	0.502
782	540/26	0.105	820	528/3	0.401
783	541/3,544/3	0.688	821	518/4	0.146
784	508	0.113	822	519/1	0.388
785	511	0.202	823	521/1	0.809
786	512	0.259	824	521/4	0.960
787	513	0.223	825	521/2	0.809
788	510/1	0.627	826	521/3	0.954
789	581/2	0.150	827	522/6,522/7	0.169
790	510/2	0.129	828	522/11,523/2	0.142
791	510/3	0.053	829	524/3	0.121
792	510/6	0.178	830	525/1	0.323
793	515/3,516/3,517/3,518/5	0.566	831	522/8	0.559
794	519/3	0.155	832	616/1	0.364
795	522/4, 522/5	0.080	833	526/3	0.567
796	522/14	0.187	834	527	0.053
797	525/6	0.135	835	528/1	0.202
798	514/1	0.135	836	616/2	0.219
799	514/2	0.079	837	617	0.077
800	514/3	0.101	838	529/2	0.311
801	514/4	0.081	839	533/1	0.036
802	514/6	0.314	840	533/6	0.036
803	519/2	0.295	841	542/3,545/3	0.486
804	522/9	0.186	842	546/1,547/1	0.146
805	525/2	0.135	843	542/1,545/1	0.489
806	525/4	0.283	844	560	0.502
807	515/1,516/1,517/1,518/1	0.186	845	577/2	0.093
808	515/2	0.053	846	580/5	0.065
809	516/2	0.020	847	582	0.223
810	517/2	0.182	848	601	0.279
811	518/2	0.186	849	602	0.316
812	515/4,516/4,517/4,518/6	0.227	850	603	0.146
813	519/4	0.202	851	604/1	0.243
814	522/15	0.081	852	619/6	0.514

853	621	0.676	881	282,283/4	0.473
854	622	0.061	882	283/1	0.525
855	623	0.914	883	283/2	0.116
856	619/13	0.283	884	283/5	0.607
857	583,584,585	0.774	885	286/2	0.343
858	293/9,295/11	0.291	886	286/3	0.351
859	284/1	1.813	887	398	1.971
860	463/2	0.032	888	400	0.502
861	474	0.020	889	469	0.069
862	298/4	0.540	890	281	0.878
863	299/3,300/3	0.344	891	105/3	0.201
864	308/3,309/3	0.101	892	105/12	0.160
865	198	0.250	893	105/7	0.120
866	278/1,278/2	1.793	894	105/8	0.485
867	279/1	3.076	895	457 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -75
868	279/3	0.417	896	411/1 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -51 मकान पक्के-02
869	289/1	0.510	897	410 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -05
870	289/2	0.510	898	421/2 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -32
871	290/1	0.243	899	456 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -28
872	290/2	0.206	900	486/7 (म.प्र. शासन)	मकान कच्चे -24
873	290/3	0.211			
874	285/3,285/5	0.826	योग:-	308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ	
875	285/2	0.930			
876	279/4	1.214			
877	284/2	0.971			
878	284/3	0.890			
879	283/3	0.525			
880	284/4	0.809			

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 4937-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाड़ा			
ख.	तहसील	चौरई			
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम-केवलारी संभा प.ह.नं.- 2/4 ब.नं.-32 रा.नि.मंडल-चौरई			
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	256.609 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ			
कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
1	573/4 } 574/4 }	0.284	7	349/1-6घ	0.089
			8	349/13ख	0.050
2	282/2	0.259	9	448/2 } 449/2 } 450/2 } 458/9 }	0.729
3	252/1	0.057			
4	253/1	0.052			
5	340/3 } 390/3 }	0.180			

10	448/4 449/4 450/4 458/11	0.535	28	451/1 454/1 455/1 456/1	0.547
11	448/6 449/6 450/6 458/13	0.065	29	463/2	0.567
			30	538	0.845
			31	259	0.040
			32	438/1	0.237
12	283/2 284 285/1	0.737	33	438/3	0.330
			34	484/3	0.227
			35	503/1	0.624
13	464/2	0.308	36	269/3	0.812
14	467/1	0.862	37	511/4 512/2	0.401
15	405/1-3	0.421			
16	68/1	1.578	38	511/7 512/4	0.401
17	72/4	0.761			
18	72/3	0.777	39	397/3	0.153
19	398/2 399/2 400/2	0.729	40	520/2,521/2	1.171
			41	421	0.625
			42	423	0.129
20	400/5	0.040	43	546/8 547/8 548/8 549/8	0.028
21	402	0.473			
22	403/1	0.073			
23	403/2	0.202			
24	451/3 452/1 454/3 455/3 456/3	0.365	44	546/3 547/3 548/3 549/3	0.469
			45	546/6 547/6 548/6 549/6	0.647
25	458/4	0.061			
26	73/7	0.324			
27	416/2-3	0.372			

46	546/7 547/7 548/7 549/7	0.065	69	546/1-4 547/1-4 548/1-4 549/1-4	0.960
47	282/3	0.021	70	573/1 574/1	0.405
48	283/1	0.040			
49	407/1	0.049	71	546/5 547/5 548/5 549/5	0.407
50	638/20	0.809			
51	77/1 78/1	0.083			
52	77/3 78/4	0.494	72	294/4	0.028
			73	413/3	0.991
53	294/3	0.004	74	404	0.243
54	418/2	0.183	75	405/2	0.182
55	569/1-2	0.179	76	290	0.085
56	571/1-2-3-4-5	0.267	77	256/2	0.049
57	571/7-8-9-10-11	0.729	78	264/3	0.004
58	394/5	0.012	79	265/1	0.008
59	511/8	0.405	80	266/1-2	0.024
60	470	0.519	81	267/1	0.020
61	69/1	0.717	82	285/2	0.032
62	77/6 78/5	0.084	83	286/1	0.041
			84	285/3	0.065
63	294/6	0.004	85	286/4	0.028
64	499/1	0.154	86	288/2	0.016
65	500	0.210	87	453/1 455/5	0.445
66	502	0.607			
67	484/2	0.227	88	268/1	0.405
68	73/2-3	0.777	89	60/1-2	0.607
			90	66/2	0.234
			91	573/3 574/3	0.117

92	287	0.166	123	501/1-3	0.113
93	180/2 क	0.409	124	503/2	0.548
94	248	0.016	125	442/1	0.323
95	239	0.283	126	569/3 क	0.040
96	397/1	0.524	127	571/11 क	0.383
97	397/2	0.371	128	571/12 क	0.149
98	264/5	0.020	129	473	0.153
99	466/1	0.230	130	479	0.845
100	638/4	0.333	131	484/1	0.458
101	638/13	0.282	132	62	0.057
102	638/16	0.405		63	
103	638/19	0.736		64	
104	394/6 } 395/4 }	0.048	133	464/1	0.308
	134		467/2	0.866	
105	638/23	0.918	135	570	0.688
106	507/1 } 577/1 }	0.576	136	488	0.433
	137		581	0.134	
107	522/1	0.259	138	524/1	0.313
108	532	0.299	139	77/7	0.577
109	533/3	0.182	140	77/8	0.085
110	535/2	0.769		78/6	
111	73/6	0.777	141	294/7	0.004
112	420/2	0.419	142	73/5	0.397
113	420/1	0.416	143	392/3	0.158
114	486/3	0.223	144	446/2	0.521
115	499/2	0.157	145	280/1	0.162
116	526/3	0.061	146	282/1	0.295
117	529/2	0.065	147	282/4	0.040
118	531/2	0.089	148	272	0.372
119	511/9	0.097	149	525	0.069
120	526/4	0.061	150	526/1	0.230
121	529/3	0.065	151	529/5	0.060
122	531/3	0.089	152	531/5	0.085

153	260/1	0.024	178	451/2 क	0.141
154	72/1	0.856		452/3 क	
155	638/27	0.607		454/2 क	
156	441/2	0.263		455/2 क	
157	441/1	0.259		456/2 क	
158	459/4	1.577		458/7 क	
159	222	0.101	179	394/3	0.348
160	71	0.785		395/1	
161	72/5	0.384	180	394/4	0.215
162	281/2	0.053		395/3	
163	514/1	0.753	181	638/26	4.050
164	232	0.069	182	301/1	0.010
165	496/1	0.202	183	370	0.858
166	277/1	0.101	184	373/3	0.093
167	278/2-4	0.134	185	374	0.354
168	457	0.486	186	378/2	0.287
169	463/1	0.655	187	380	0.372
170	340/1	0.028	188	401	0.045
	390/1		189	419	0.943
171	425	0.194	190	422	0.486
172	546/2	1.282	191	458/2	0.049
	547/2		192	513/1	0.205
	548/2		193	396/2	0.405
	549/2		194	630	0.121
173	573/2	0.401	195	631	0.142
	574/2		196	637/4	0.085
174	526/5	0.061	197	638/21	0.607
175	529/4	0.065	198	638/28	1.142
176	531/4	0.089	199	250	0.030
177	416/4	0.251	200	347/4	0.235
			201	348/4	0.227
			202	394/1	0.526
			203	411/3	0.328

204	458/3	0.053		349/5	1.935
205	61 65/2 66/2	0.766	228	349/8 349/9 349/12	
206	67	0.490	229	349/7	
207	83 84	1.760	230	349/11 349/14	0.607
208	86 87	1.986	231	410	1.299
209	55/2	0.850	232	245/1 246	0.006
210	387	0.235	233	338/1 क	0.118
211	392/1	0.162	234	338/2 क	0.065
212	403/3	0.130	235	338/2 ख	1.335
213	424/1	0.284	236	339/2 क	0.283
214	426 436/1	0.566	237	571/6	0.523
215	436/3	0.405	238	572	3.166
216	494/1	0.326	239	573/3	0.307
217	579/3	0.175	240	575	0.966
218	434/1	0.235	241	179/1 क	0.433
219	447	1.635	242	180/4 ख	0.324
220	579/1	0.350	243	180/6-7-8	1.056
221	220/3	0.011	244	180/5	0.607
222	252/2 253/2	0.032	245	638/25	2.425
223	342	0.490	246	518/2	0.405
224	343	0.745	247	181/1	0.069
225	346	0.368	248	181/2	0.146
226	349/3	0.688	249	181/4	0.013
227	349/4	0.688	250	234	0.069
			251	271 274/1 275/1	0.822
			252	274/2	0.271
			253	338/1 ख	0.142

254	338/2 ख	0.214	274	407/2	1.133
255	338/3 ख	1.647	275	459/1-2-3	3.141
256	339/2 ख	0.275	276	640 } 643 }	2.048
257	375	0.105			
258	381	0.393	277	511/6 } 512/3 }	0.802
259	372/1	0.263			
260	372/2	0.680	278	74/1 ख } 75 }	1.612
260	58 } 91 } 92 } 93 } 94 }	1.220		279	
	280		440/2	0.340	
	281		443/2 } 444/2 }	0.597	
	262		72/2	2.000	282
263	73/1	1.716	283	485/1	0.206
264	73/4	0.364	284	486/2	0.194
265	292/1	0.020	285	491/2	0.152
266	293	0.024	286	496/2	0.105
267	298	0.117	287	504/1, 505/1	0.965
268	376/3 } 398/1 } 399/1 } 400/1 }	0.962	288	507/2 } 577/2 }	0.210
	289			637/2-3	
269	376/5 } 398/3 } 399/3 } 400/3 }	0.736	290	638/3	0.775
	291		461	0.498	
	292		462	0.462	
	293		468, 469	0.822	
270	377 } 393 }	1.012	294	475 } 477 }	0.465
271	388	0.150			
272	391/1	0.280	295	495/3	0.008
273	398/4 } 399/4 } 400/4 }	0.032	296	641 } 642 }	0.789
	297			424/2	

298	436/4 } 437 }	0.721	329	345	0.190
299	494/2	0.326	330	347/1-2-3 } 348/1-2-3 }	0.902
300	579/2	0.175	331	351/3 } 352/2 } 356/1 ग } 356/1 घ }	0.283
301	436/2	0.364			
302	636/2	0.401			
303	638/8	0.202			
304	638/10	0.333			
305	638/14	0.647	332	358/3	0.275
306	638/18	0.567	333	251	0.040
307	639/2	0.069	334	258	0.073
308	277/2	0.162	335	294/1	0.061
309	277/3	0.020	336	350	0.097
310	278/3	0.081	337	351/1	0.849
311	278/4	0.105	338	356/1 क	0.162
312	279/1	0.081	339	394/2	0.190
313	280/3	0.040	340	396/1	0.073
314	513/5	0.949	341	451/2 क } 452/3 क } 454/2 क } 455/2 क } 456/2 क } 458/7 क }	0.500
315	513/6	0.684			
316	514/2	0.485			
317	418/1	0.898			
318	490/1	0.100			
319	584/1 } 585/1 }	0.222			
320	296	0.032			
321	349/16	0.093			
322	349/17	0.125			
323	349/10	0.607			
324	349/1-6 ग	0.320	343	509/3	0.178
325	349/13 क	1.190	344	509/5	0.324
326	341/1 क	0.417	345	511/2	0.717
327	341/1 ख	0.413	346	511/5	0.712
328	344	0.247	347	281/3	0.049

348	279/2 } 280/2 }	0.215	369	507/3 } 577/3 }	0.210			
349	445	0.737	370	223	0.121			
350	263	0.040	371	224	0.478			
351	444/2	0.324	372	269/1 } 270/1-2 }	1.691			
352	522/4 } 523/2 }	2.508				373	268/2	0.008
353	220/2 } 221 }	0.154	374	359	1.408			
			375	439	1.631			
354	228	0.298	376	444/1	0.324			
355	230 } 231/1-2 } 235/1-2 }	0.486	377	444/3	0.202			
			378	483	0.413			
			379	491/1	0.356			
356	238	0.158	380	501/2	0.057			
357	254 } 255 }	0.050	381	578 } 580 }	0.684			
358	273	0.352	382	249	0.032			
359	275/2	0.227	383	395/2	0.713			
360	278/1 } 281/1 }	0.255	384	451/4 } 452/2 } 453/2 } 454/4 } 455/4 } 456/4 } 458/5 }	0.212			
361	515 } 516/1-2-3-4-5-6- } 7-8 } 517/1-2-3 }	2.194						
362	440/3	0.340						
363	443/3 } 444/4 }	0.273				385	509/2	0.275
						386	509/4	0.243
364	478/3	0.162				387	511/3 } 512/1 }	1.456
365	485/3	0.207						
366	491/3	0.152	388	440/1	0.611			
367	496/3	0.105	389	443/1	0.771			
368	504/2 } 505/2 }	0.965	390	485/2	0.502			
			391	486/1, 487	0.551			

392	478/1	0.384	419	518/1	0.798
393	480	0.582		519/1	
394	481	0.185	420	627	1.150
395	498	0.821		628	
396	501/4 } 501/5 }	0.138		629	
			421	633	0.470
397	180/2 ख	0.020	422	638/5	0.203
398	180/3 ख	0.308	423	638/6	2.024
399	181/8	0.222	424	269/2	0.807
400	179/1 ख	0.020	425	260/3	0.024
401	179/2 घ	0.299	426	358/2	0.283
402	180/3 क	0.073	427	511/1	0.729
403	180/4 क	0.607	428	247	0.010
404	170/1	0.085	429	291	0.028
	171/3		430	360	0.676
	172		431	361	1.032
	173			363	
405	446/1	0.172	432	364	0.229
406	181/3	0.632	433	365	0.498
407	299/2	0.029	434	366	0.672
408	371/2	0.498	435	367/1	0.299
409	416/1	0.129	436	446/3	0.346
410	416/5	0.757	437	407/7	0.125
411	417/1-2	0.352	438	411/1	0.878
412	442/2	0.321	439	636/1	0.190
413	524/2	0.244	440	637/1	0.210
414	528/1	1.445	441	638/2	0.536
415	530/2	0.494	442	638/9	0.687
	533/2		443	638/12	0.282
416	535/1	0.943	444	638/15	0.282
417	229	0.151	445	638/22	0.800
418	236	0.093	446	639/1	0.069
			447	178	0.339

448	180/1	0.454	474	339/1	0.299
449	181/7	0.296	475	68/2	0.785
450	522/2	0.615	476	70	0.621
451	524/3	0.080	477	427	2.850
452	528/2	0.607		428	
453	530/3 } 533/4 }	0.202		429/1-2	
	431				
454	533/1	0.081		430/1-2	
455	220/1	0.011		432	
456	438/4	0.101		433	
457	438/5	0.089		434/2	
458	482	1.007		435	
459	59	0.720		478	
460	69/2	0.713	479	357	0.771
461	294/5	0.008	480	276	0.341
462	336/1 } 337 }	0.130	481	527	0.425
	463		77/2 } 78/2 }	482	536
537					
544					
464	77/4 } 78/3 }	0.496	483	545	1.193
	472/2				
465	77/5	0.561	484	513/2	0.931
466	294/2	0.008		513/7	
467	391/2	0.085	485	513/3	0.301
468	297	0.088		513/4	
469	522/3 } 523/1 }	1.515	486	220/4	0.011
	487		220/5	0.011	
470	74/1 क } 76 }	1.805	488	412	1.558
	79			414	
471	79	0.563		415	
472	300/2	0.010	489	493	1.165
473	80/1 } 81/1 }	0.873	490	465/2	0.741
	466/2				

491	471/2	0.918	522	295	0.032
492	474/2	0.253	523	349/1-6 क	0.081
493	476/2	0.221	524	349/15	0.065
494	256/1	0.045	525	349/1-6 ख	0.433
495	257	0.036	526	340/1	0.026
496	292/2	0.020		390/1	
497	373/2	0.372	527	349/16	0.093
498	373/5	0.332	528	448/1	0.729
499	378/1	0.053		449/1	
500	379/2	0.145		450/1	
501	379/4	0.178		458/6	
502	382/2	0.547	529	448/3	0.535
503	408	0.024		449/3	
504	411/2	0.482		450/3	
505	413/1-2	0.979		458/10	
506	471/1	0.914	530	448/5	0.065
507	474/1	0.259		449/5	
508	476/1	0.219		450/5	
509	384	0.655		458/12	
510	392/2	0.202	531	260/2	0.024
511	407/3	0.283	532	261	0.008
512	407/5	0.243	533	264/4	0.118
513	409	0.125		265/2	
514	407/4 } 407/6 }	0.260		266/3-4 267/2	
515	406	0.624	534	264/6	0.056
516	407/8	0.242		265/3	
517	638/1	0.405		266/5	
518	638/7	0.283		267/3	
519	638/11	0.283	535	286/2	0.057
520	638/17	0.242	536	285/4	0.080
521	80/3 } 81/2 }	0.870		286/3	
			537	288/1	0.032

538	288/3	0.016	561	179/2 ख	0.024
539	351/2	0.870	562	149/6 } 150/11 }	0.088
	352/1		563	149/9 } 150/14 }	0.121
	353			150/8 } 157/5 }	0.081
	356/2 क 356/1 ख		564	565	465/1
540	509/1	0.934	566	149/5 } 150/10 }	0.088
541	352/3	1.804	567	149/8 } 150/13 }	0.121
	354			150/7 } 157/4 }	0.081
	355			568	157/4 }
	356/2 ख,ग 358/1		569	233	0.069
542	385	0.061	570	540/2	0.809
543	386	0.538	571	149/4 } 150/6 }	0.659
544	569/3 ख	0.040		149/7 } 150/12 }	0.088
545	571/11 ख	0.386	572	149/10 } 150/15 }	0.121
546	571/12 ख	0.154		573	150/9 } 157/6 }
547	339/3	0.284	574	151	0.142
548	301/2	0.008		575	151
549	418/3	0.122	576	540/1	2.178
550	418/4	0.073		577	541
551	418/5	0.076	578	542	0.073
552	490/2	0.345		579	526/2
553	584/2 } 585/2 }	0.260	580	529/1	0.065
	518/3 } 519/2 }			581	531/1
554	237	0.166	582		383
555	513/8	0.405		583	520/1, 521/1
556	489	0.137			
557	492	0.343			
558	582	0.312			
559	583	0.243			

584	367/2	0.158	590	373/1	0.494
585	371/1	0.182	591	373/4	0.221
586	299/1	0.016	592	378/3	0.049
587	367/3	0.158	593	379/1	0.186
588	371/3	0.182	594	379/3	0.166
589	368	0.259	595	382/1	0.615
योग:-			256.609 हेक्टेयर एवं उक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां		

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :-पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 4938-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2011.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लोज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिंदवाड़ा
ग.	नगर/ ग्राम	ग्राम-काराघाट प.ह.नं.- 29 ब.नं.-55 रा.नि.मंडल-छिंदवाड़ा-1
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	कं.	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
1	112	1.423	7	12/3	0.040
2	234/2	0.413	8	12/4	0.070
3	235/2	0.817	9	397/4	0.303
4	397/1	0.303	10	401/4	0.430
5	401/1	0.477	11	403/4	0.425
6	403/1	0.405	12	60/6	0.320

13	60/7	0.377	42	69/2	0.110
14	78/2	0.334	43	397/5	0.097
15	86/4	0.139	44	400	0.510
16	79/1	0.130	45	401/5	0.546
17	97/5	0.138	46	403/5	0.425
18	98/2	0.162	47	369/2	0.239
19	74/13	0.234	48	56	0.648
20	13/2	1.153	49	57	1.141
21	421/2	0.198	50	8/2	0.125
22	191	0.421	51	9	1.052
23	200/1	0.424	52	419/4	0.121
24	201	0.454	53	419/6	0.122
25	386/1	1.517	54	420/1	0.109
26	147/1 ख	0.283	55	419/3	0.231
27	209/2	0.742	56	419/5	0.121
28	79/6	0.167	57	419/2	0.121
29	97/1	0.085	58	419/7	0.231
30	98/6	0.176	59	420/2	0.219
31	90	0.202	60	413	0.032
32	54/2	0.465	61	414	0.239
33	55/3	0.219	62	210/9	0.186
34	59/4	0.117	63	211/4	0.021
35	59/6	0.400	64	212/3	0.056
36	59/10	0.239	65	220/3	0.045
37	74/10	0.182	66	221/5	0.037
38	74/14	0.250	67	222/10	0.077
39	128	1.509	68	224/2	0.291
40	76/1	0.700	69	224/5	0.101
41	76/2	0.696	70	225	0.049

71	228/3	0.437	100	7/29	0.135
72	387/2	0.429	101	7/17	0.089
73	135/2	1.575	102	7/22	0.101
74	7/4	0.405	103	7/21	0.101
75	7/5	0.202	104	7/20	0.101
76	7/6	0.405	105	7/16	0.094
77	29/1	0.072	106	7/15	0.093
78	29/3	0.180	107	7/13	0.122
79	110/2	0.121	108	7/14	0.284
80	111/2	0.243	109	7/30	0.186
81	113/2	0.664	110	79/5	0.163
82	397/3	0.244	111	97/2	0.105
83	401/3	0.474	112	98/5	0.162
84	403/3	0.383	113	145/1	0.767
85	84/2	0.991	114	417/1	0.368
86	208	0.684	115	418/1	0.121
87	209/1	0.743	116	418/5	0.413
88	404/1	0.400	117	147/2	0.858
89	79/4	0.159	118	377/1	0.356
90	97/3	0.109	119	377/2	0.344
91	98/4	0.162	120	410	1.015
92	7/24	0.202	121	64/3	0.838
93	7/26	0.122	122	64/4	0.607
94	7/27	0.184	123	94	0.081
95	7/28	0.135	124	138/2	0.344
96	7/8	0.122	125	374/3	0.057
97	7/9	0.284	126	378/2	0.760
98	7/12	0.284	127	393/2	0.336
99	7/10	0.121	128	394/2	0.356

129	122/4	1.315	158	40/1	0.433
130	359/3	0.333	159	46/2	0.138
131	381/1	0.460	160	62/4	0.150
132	210/2	0.219	161	139/3	0.526
133	211/1	0.004	160	144/5	0.769
134	214/1	0.045	161	144/6	0.081
135	221/3	0.073	162	144/7	0.324
136	220/4	0.020	163	60/5	0.377
137	221/4	0.105	164	60/8	0.320
138	222/11	0.251	165	78/1	0.334
139	224/3	0.243	166	86/3	0.138
140	224/4	0.069	167	79/3	0.130
141	228/2	0.364	168	97/4	0.137
142	387/3	0.016	169	98/3	0.163
143	388/2	0.412	170	374/2	0.502
144	147/3	0.284	171	393/4	0.226
145	412/1	1.983	172	394/4	0.303
146	415	1.699	173	375/6	0.121
147	210/4	0.222	174	375/7	0.325
148	405/1	0.324	175	392/5	0.186
149	405/4	0.607	176	375/1	0.081
150	406/2	1.214	177	392/6	0.020
151	389/2	0.607	178	375/2	0.364
152	404/2	1.198	179	375/5	0.121
153	144/3	0.250	180	148/9	1.060
154	75	0.364	181	168/2	0.324
155	84/1	0.797	182	169	0.028
156	7/2	0.708	183	170	0.032
157	7/3	0.303	184	99	0.501

185	54/1	0.204	214	374/4	0.073
186	54/4	0.023	215	378/1	0.765
187	54/5	0.061	216	392/3	0.211
188	55/2	0.235	217	375/4	0.121
189	59/1	0.288	218	189/1	0.352
190	59/2	0.215	219	192/1	0.696
191	59/8	0.125	220	195	0.761
192	74/18	0.162	221	198	0.405
193	237/5	0.091	222	105/3	0.238
194	237/6	0.085	223	106/3	0.288
195	237/7	0.137	224	109/3	0.251
196	237/8	0.053	225	126/1	0.493
197	13/1	0.554	226	133/6	0.224
198	15	0.040	227	146/2	0.615
199	52/2	0.899	228	105/1	0.146
200	53/2	0.462	229	106/1	0.113
201	222/14	0.060	230	109/1	0.146
202	368/1	0.153	231	115	1.084
203	368/2	0.720	232	133/1	0.587
204	368/4	0.568	233	105/2	0.146
205	371/3	0.336	234	106/4	0.016
206	29/2	0.556	235	106/2	0.113
207	350/1, 350/2	0.975	236	109/2	0.125
208	79/2	0.130	237	126/2	0.263
209	97/6	0.118	238	133/2	0.426
210	98/1	0.182	239	133/3	0.235
211	77	0.628	240	133/4	0.198
212	371/2	0.505	241	135/5	0.038
213	369/1	0.469	242	126/3	0.146

243	6	0.036	272	394/1	0.283
244	7/7	0.118	273	386/2	0.809
245	7/11	0.281	274	386/3	0.708
246	7/18	0.101	275	392/2	0.364
247	7/19	0.101	276	223/1	1.416
248	7/23	0.182	277	93	0.089
249	7/25	0.101	278	129	0.223
250	406/1	0.068	279	130/1	0.485
251	132	1.356	280	74/8	0.162
252	136	0.243	281	122/1	0.547
253	419/1	0.121	282	383/5	0.712
254	419/8	0.142	283	397/2	0.518
255	421/1	0.089	284	401/2	0.648
256	409	0.648	285	403/2	0.385
257	411	0.214	286	74/4	0.728
258	412/2	0.383	287	74/6	0.175
259	416/2	0.397	288	74/11	0.162
260	389/1	1.664	289	74/12	0.093
261	7/1	0.023	290	210/3	0.315
262	122/6	1.315	291	220/2	0.567
263	114/2	0.732	291	221/2	0.413
264	116/2	0.298	293	222/1 ख	0.486
265	299	0.032	294	237/4	0.607
266	370/1	0.113	295	130/2	0.405
267	371/1	0.162	296	383/2	1.348
268	374/1	0.129	297	12/1	1.011
269	375/3	0.121	298	30	1.186
270	392/1	0.190	299	34	0.081
271	393/1	0.162	300	220/1	0.627

301	223/2	1.328	330	373/1	0.192
302	157	0.757	331	376/1	0.753
303	60/2	0.352	332	379/1	0.554
304	60/3	0.279	333	380/1	0.389
305	64/5	0.417	334	380/4	0.331
306	86/2	0.139	335	372/1	0.676
307	88/1	0.121	336	4	3.084
308	114/1	0.728	337	69/1	0.010
309	64/1	0.304	338	80/2	0.919
310	148/3	0.668	339	81/1	0.283
311	148/5	0.769	340	82/2	0.773
312	148/10	0.526	341	87/2	0.243
313	149/1	0.485	342	91/2	0.405
314	148/13-14	0.546	343	204/9	0.112
315	160/2	0.983	344	204/10	0.041
316	122/3	2.631	345	205/3	0.014
317	148/1	0.506	346	206/4	0.137
318	148/11	0.020	347	207/4	0.106
319	143/3	0.205	348	210/10	0.093
320	143/4	0.050	349	222/9	0.161
321	148/2	0.506	350	222/15	0.114
322	148/12	0.640	351	310/9	0.207
323	148/8	1.217	352	310/12	0.177
324	148/15	0.405	353	310/13	0.145
325	148/16	0.278	354	310/16	0.101
326	149/2	0.486	355	310/8	0.233
327	149/3	0.065	356	222/7	0.243
328	58	0.486	357	222/8	0.162
329	360/1	0.494	358	231/1,231/2	0.971

359	348/3	0.002	388	60/4	0.209
360	349/3	0.002	389	64/2	0.304
361	359/4	0.186	390	64/6	0.417
362	234/4	2.347	391	86/1	0.138
363	197	1.523	392	88/2	0.122
364	234/18	0.081	393	116/1	0.297
365	200/2	0.501	394	138/1	0.416
366	215/1	0.554	395	89	0.138
367	218/7	0.231	396	92	0.101
368	407/6	1.802	397	108	0.522
369	80/1	0.514	398	137	1.547
370	80/3	0.405	399	154	0.279
371	81/2	0.817	400	155	1.133
372	82/1	0.449	401	156	0.291
373	82/3	0.324	402	38	0.676
374	83	0.243	403	39	0.020
375	87/1	0.243	404	40/2	0.433
376	91/1	0.202	405	46/3	0.138
377	145/4	0.591	406	49/1	0.198
378	234/6	0.850	407	50/1	0.158
379	234/8	0.159	408	51/1	0.429
380	234/10	0.344	409	63/1	0.385
381	234/16	0.040	410	62/5	0.150
382	235/1	0.549	411	146/5	0.396
383	235/8	0.450	412	179/1	0.106
384	417/4	0.372	413	234/17	0.029
385	417/7	0.122	414	235/10	1.554
386	418/2	0.421	415	122/2	2.631
387	60/1	0.752	416	368/3	0.720

417	241/8	0.263	446	177/1	0.234
418	151/1	0.324	447	177/4	0.073
419	182/1	0.810	448	178	0.357
420	182/2	0.846	449	180	0.032
421	183/2	0.809	450	226/1	0.170
422	84/3	1.134	451	226/2	0.174
423	85	1.461	452	229/2	0.910
424	384/2	0.004	453	229/3	0.175
425	389/3	0.606	454	229/5	0.608
426	416/1	2.165	455	229/7,230/2,230/4,230/6,230/8	0.324
427	360/3	0.473	456	233/2	0.405
428	363	0.554	457	174	0.401
429	372/3	0.405	458	390	1.917
430	376/2	0.399	459	110/1	0.462
431	379/2	0.550	460	111/1	0.300
432	371/5	0.081	461	113/1	2.403
433	146/1	0.648	462	360/2	0.020
434	175/1	0.231	463	361	0.740
435	177/2	0.226	464	370/3	0.113
436	177/3	0.073	465	371/4	0.081
437	177/5	0.357	466	372/2	0.271
438	179/2	0.101	467	373/2	0.192
439	179/3	0.101	468	376/3	0.398
440	229/8,230/1,230/3 230/5,230/7	0.955	469	380/2	0.283
441	231/3	0.401	470	380/3	0.442
442	233/1	0.291	471	382	0.922
443	146/3	0.655	472	147/1 क	0.550
444	146/4	0.016	473	150	1.380
445	175/2	0.125	475	153	0.158

476	158/3	0.101	505	394/3	0.309
477	158/4	0.101	506	395/1	1.194
478	159	0.789	507	395/3	0.405
479	176	0.676	508	204/4	0.101
480	194	0.121	509	205/2	0.032
481	196	0.607	510	206/1	0.137
482	199	0.506	511	204/6	0.408
483	131	0.299	512	204/8	0.081
484	134	0.729	513	207/1	0.145
485	189/3	0.405	514	210/1	0.174
486	192/2	0.696	515	222/2	0.445
487	145/3	0.648	516	310/3	0.809
488	234/5	0.344	517	310/5	0.327
489	234/9	0.344	518	310/7	0.454
490	234/12	0.829	519	310/11	0.101
491	234/14	0.061	520	348/2, 349/2, 359/2	0.290
492	235/6	0.450	521	367	0.223
493	377/4	0.344	522	381/3	0.608
494	417/3	0.368	523	215/2	0.243
495	417/6	0.122	524	218/2	0.364
496	418/3	0.413	525	218/6	0.531
497	204/1	0.607	526	222/12	0.534
498	204/3	1.603	527	407/4	0.546
499	172	2.283	528	407/7	0.405
500	186	0.785	529	407/9	0.789
501	8/1	1.182	530	151/3	0.303
502	358	0.454	531	173	0.401
503	391/1	3.018	532	183/1	0.700
504	393/3	0.154	533	184	0.979

534	188	0.073	563	158/1	0.860
535	189/2	0.384	564	160/1	0.870
536	185	0.235	565	161/1	0.024
537	190	0.344	566	162/2	0.182
538	144/2	1.497	567	163	0.049
539	139/2	0.688	568	164	0.053
540	144/1	1.829	569	165/2	0.539
541	210/5	0.405	570	166	0.024
542	211/2	0.016	571	167	0.024
543	212/2	0.081	572	168/1	0.316
544	214/2	0.040	573	210/8	0.206
545	222/5	0.518	574	211/3	0.016
546	357	0.012	575	212/1	0.041
547	387/1	0.445	576	221/1	0.113
548	398	0.849	577	222/4	0.576
549	399	0.324	578	222/3	0.077
550	402	1.514	579	224/1	0.413
551	405/3	0.530	580	228/1	0.324
552	234/7	0.668	581	388/1	0.429
553	234/11	0.384	582	221/6	0.153
554	234/13	0.040	583	405/2	0.437
555	235/4-5	0.651	584	236	1.347
556	235/9	0.450	585	384/3	0.714
557	119	0.061	586	215/3	0.243
558	120	0.061	587	218/3	0.303
559	121	0.785	588	218/5	0.465
560	124	0.162	589	218/9	0.113
561	148/4	0.668	590	222/1 क	0.486
562	148/6	0.972	591	407/2	0.263

592	407/3	0.546	621	158/5	0.153
593	407/10	0.789	622	161/2	0.320
594	216/1	0.364	623	162/1	0.162
595	217/1	0.381	624	165/1	0.101
596	356/1	0.768	625	42	0.555
597	408/1	0.445	626	44/1	0.110
598	135/1	0.202	627	44/2	0.109
599	396	3.411	628	46/1	0.149
600	122/5	1.275	629	47/1	0.210
601	122/7	0.809	630	47/2	0.211
602	10	0.166	631	48/1	0.300
603	11	1.214	632	48/2	0.299
604	12/2	0.040	633	49/2	0.199
605	14	1.558	634	52/1	0.455
606	32	0.020	635	52/3	0.455
607	33	2.158	636	50/2	0.158
608	74/5	1.011	637	51/2	0.424
609	74/9	0.268	638	53/1	0.226
610	74/7	0.162	639	53/3	0.230
611	36	1.861	640	61	1.437
612	37	0.304	641	62/1	0.303
613	216/2	0.369	642	62/2	0.319
614	217/2	0.372	643	62/3	0.304
615	356/2	0.765	644	63/2	0.388
616	408/2	0.449	645	144/8	0.579
617	118	0.785	646	204/5	0.223
618	123	0.162	647	206/3	0.275
619	148/7	1.359	648	207/3	0.211
620	158/2	0.635	649	210/7	0.166

650	310/2	0.344	679	96	0.615
651	310/4	0.931	680	101	0.312
652	310/6	0.327	681	100	1.380
653	310/10	0.101	682	102	0.409
654	362	0.275	683	103	0.551
655	145/2	0.716	684	104	0.352
656	234/1	1.214	685	107	0.462
657	234/15	0.040	686	139/1	0.915
658	235/7	0.409	687	204/2	0.111
659	377/3	0.344	688	204/7	0.020
660	417/2	0.368	689	205/1	0.035
661	417/5	0.121	690	206/2	0.138
662	418/4	0.413	691	207/2	0.106
663	383/1	0.409	692	210/6	0.083
664	383/3	0.727	693	222/6	0.210
665	391/2	0.493	694	310/1	0.150
666	391/3	0.417	695	310/14	0.110
667	395/2	1.780	696	310/15	0.126
668	234/3	1.400	697	310/17	0.233
669	215/4	0.121	698	310/18	0.207
670	218/1	0.283	699	348/1	0.002
671	218/4	0.445	700	349/1	0.002
672	218/8	0.122	701	359/1	0.186
673	218/10	0.113	702	193	1.392
674	222/13	0.417	703	237/2	0.097
675	407/1	0.526	704	370/2	0.402
676	407/5	0.587	705	381/2	0.429
677	407/8	0.951	706	54/3	0.283
678	235/3	0.004	707	55/1	0.271

708	59/3	0.090	724	237/9	0.153
709	59/5	0.271	725	392/4	0.186
710	59/7	0.023	726	229/4	0.227
711	59/9	0.207	727	227/1	0.231
712	74/1	0.083	728	227/2	0.231
713	74/17	0.182	729	229/1	0.203
714	300/1	0.206	730	229/6	1.079
715	300/2	0.080	731	229/9,230/9	1.161
716	301/3	0.306	732	117	0.648
717	306	0.095	733	151/2	0.291
718	307	0.280	734	152	1.210
719	308	0.450	735	383/4	0.405
720	144/9	0.405	योग:-	317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ	
721	384/4	0.405			
722	237/1	0.136			
723	237/3	0.053			

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.